मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्, भोपाल

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन पंजीकृत संस्था)

द्वितीय तल, नर्मदा भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल - ४६२०११

क्रं./3783 /MIS//एनआर-10/NREGS-MP/2010 भोपाल, दिनांक 26/04/2010

प्रति,

1. कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक
   महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक
   महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
   जिला पंचायत– **BURHANPUR**

विषयः– वित्तीय वर्ष 2010–11 में एम.आई.एस. के माध्यम से एम.पी.आर. का सृजन बावत्।

——00——

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2009–10 में माह फरवरी 2010 के मासिक प्रगति प्रतिवेदन में प्रतिवेदित प्रगति की तुलना में आपके जिले की ऑनलाईन एम.आई.एस. प्रगति **मानव दिवस 38 प्रतिशत** तथा **पूर्ण कार्यों का 2 प्रतिशत** है।

भारत सरकार के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि वित्तीय वर्ष 2010–11 में माह अप्रैल 2010 से जिलों की मासिक प्रगति प्रतिवेदन एम.आई.एस. के माध्यम से ही मान्य किया जायेगा। भारत सरकार द्वारा जिलों का आवंटन एम.आई.एस. में दर्ज प्रगति के आधार पर ही किया जायेगा। अतः एम.आई.एस. में कमजोर प्रगति होने के कारण यदि वित्तीय आवंटन रोका जाता है तो जिले के अधिकारी जिम्मेदार होंगे। परिषद द्वारा जिलों को इस संबंध में पत्र एवं वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से अवगत कराया जा चुका है।

वित्तीय वर्ष 2010–11 में माह अप्रैल 2010 से योजना अंतर्गत संचालित कार्यों पर प्रत्येक सप्ताह उपयोग होने वाले मस्टररोल व व्यय की जानकारी अविलम्ब नियमित अपलोड किया जाना आवश्यक है।

दिनांक 3 अप्रैल 2010 को वीडियो कांफ्रेसिंग में वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु एम.आई.एस. से एम.पी.आर. तैयार करने की विस्तृत कार्य योजना से परिषद के सिस्टम एनालिस्ट एवं प्रभारी अधिकारी (एम.आई.एस.) से जिलों को अवगत कराया गया था तथा अप्रैल 2010 के प्रत्येक सप्ताह के मस्टररोल अविलम्ब अपलोड करने का अनुरोध किया गया था किन्तु दिनांक 19/4/2010 तक वित्तीय वर्ष 2010–11 के मस्टररोल वेबसाईट पर प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि आपका जिला/जनपदों द्वारा अपलोडिंग प्रारंभ नहीं की गई है। इस संबंध में यदि कोई कठिनाई हो तो तत्काल परिषद के सिस्टम एनालिस्ट एवं प्रभारी अधिकारी (एम.आई.एस.) से संपर्क किया जा सकता है।

अनुरोध है कि ग्राम पंचायतों एवं अन्य क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा कार्यों पर उपयोग मस्टररोल व व्यय आदि के एम.आई.एस. की साप्ताहिक समीक्षा करने का कष्ट करें।

(रश्मि अरूण शमी)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद
भोपाल

मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्, भोपाल

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन पंजीकृत संस्था)

द्वितीय तल, नर्मदा भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल - ४६२०११

क्रं./3784 /MIS//एनआर-10/NREGS-MP/2010 भोपाल, दिनांक 20/04/2010

प्रति,

1. कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक
   महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक
   महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
   जिला पंचायत– **ASHOK NAGAR**

विषयः– वित्तीय वर्ष 2010–11 में एम.आई.एस. के माध्यम से एम.पी.आर. का सृजन बावत्।

——00——

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2009–10 में माह फरवरी 2010 के मासिक प्रगति प्रतिवेदन में प्रतिवेदित प्रगति की तुलना में आपके जिले की ऑनलाईन एम.आई.एस. प्रगति **मानव दिवस 28 प्रतिशत** तथा **पूर्ण कार्यों का 6 प्रतिशत** है।

भारत सरकार के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि वित्तीय वर्ष 2010–11 में माह अप्रैल 2010 से जिलों की मासिक प्रगति प्रतिवेदन एम.आई.एस. के माध्यम से ही मान्य किया जायेगा। भारत सरकार द्वारा जिलों का आवंटन एम.आई.एस. में दर्ज प्रगति के आधार पर ही किया जायेगा। अतः एम.आई.एस. में कमजोर प्रगति होने के कारण यदि वित्तीय आवंटन रोका जाता है तो जिले के अधिकारी जिम्मेदार होंगे। परिषद द्वारा जिलों को इस संबंध में पत्र एवं वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से अवगत कराया जा चुका है।

वित्तीय वर्ष 2010–11 में माह अप्रैल 2010 से योजना अंतर्गत संचालित कार्यों पर प्रत्येक सप्ताह उपयोग होने वाले मस्टररोल व व्यय की जानकारी अविलम्ब नियमित अपलोड किया जाना आवश्यक है।

दिनांक 3 अप्रैल 2010 को वीडियो कांफ्रेसिंग में वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु एम.आई.एस. से एम.पी.आर. तैयार करने की विस्तृत कार्य योजना से परिषद के सिस्टम एनालिस्ट एवं प्रभारी अधिकारी (एम.आई.एस.) से जिलों को अवगत कराया गया था तथा अप्रैल 2010 के प्रत्येक सप्ताह के मस्टररोल अविलम्ब अपलोड करने का अनुरोध किया गया था किन्तु दिनांक 19/4/2010 तक वित्तीय वर्ष 2010–11 के मस्टररोल वेबसाईट पर प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि आपका जिला/जनपदों द्वारा अपलोडिंग प्रारंभ नहीं की गई है। इस संबंध में यदि कोई कठिनाई हो तो तत्काल परिषद के सिस्टम एनालिस्ट एवं प्रभारी अधिकारी (एम.आई.एस.) से संपर्क किया जा सकता है।

अनुरोध है कि ग्राम पंचायतों एवं अन्य क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा कार्यों पर उपयोग मस्टररोल व व्यय आदि के एम.आई.एस. की साप्ताहिक समीक्षा करने का कष्ट करें।

(रश्मि अरूण शमी)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद
भोपाल

मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्, भोपाल

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन पंजीकृत संस्था)

द्वितीय तल, नर्मदा भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल - ४६२०११

क्रं./3785/MIS//एनआर-10/NREGS-MP/2010 भोपाल, दिनांक 20/04/2010

प्रति,

1. कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक
   महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक
   महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
   जिला पंचायत– **TIKAMGARH**

विषयः– वित्तीय वर्ष 2010–11 में एम.आई.एस. के माध्यम से एम.पी.आर. का सृजन बावत्।

——00——

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2009–10 में माह फरवरी 2010 के मासिक प्रगति प्रतिवेदन में प्रतिवेदित प्रगति की तुलना में आपके जिले की ऑनलाईन एम.आई.एस. प्रगति **मानव दिवस 27 प्रतिशत** तथा **पूर्ण कार्यों का 5 प्रतिशत** है।

भारत सरकार के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि वित्तीय वर्ष 2010–11 में माह अप्रैल 2010 से जिलों की मासिक प्रगति प्रतिवेदन एम.आई.एस. के माध्यम से ही मान्य किया जायेगा। भारत सरकार द्वारा जिलों का आवंटन एम.आई.एस. में दर्ज प्रगति के आधार पर ही किया जायेगा। अतः एम.आई.एस. में कमजोर प्रगति होने के कारण यदि वित्तीय आवंटन रोका जाता है तो जिले के अधिकारी जिम्मेदार होंगे। परिषद द्वारा जिलों को इस संबंध में पत्र एवं वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से अवगत कराया जा चुका है।

वित्तीय वर्ष 2010–11 में माह अप्रैल 2010 से योजना अंतर्गत संचालित कार्यों पर प्रत्येक सप्ताह उपयोग होने वाले मस्टररोल व व्यय की जानकारी अविलम्ब नियमित अपलोड किया जाना आवश्यक है।

दिनांक 3 अप्रैल 2010 को वीडियो कांफ्रेसिंग में वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु एम.आई.एस. से एम.पी.आर. तैयार करने की विस्तृत कार्य योजना से परिषद के सिस्टम एनालिस्ट एवं प्रभारी अधिकारी (एम.आई.एस.) से जिलों को अवगत कराया गया था तथा अप्रैल 2010 के प्रत्येक सप्ताह के मस्टररोल अविलम्ब अपलोड करने का अनुरोध किया गया था किन्तु दिनांक 19/4/2010 तक वित्तीय वर्ष 2010–11 के मस्टररोल वेबसाईट पर प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि आपका जिला/जनपदों द्वारा अपलोडिंग प्रारंभ नहीं की गई है। इस संबंध में यदि कोई कठिनाई हो तो तत्काल परिषद के सिस्टम एनालिस्ट एवं प्रभारी अधिकारी (एम.आई.एस.) से संपर्क किया जा सकता है।

अनुरोध है कि ग्राम पंचायतों एवं अन्य क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा कार्यों पर उपयोग मस्टररोल व व्यय आदि के एम.आई.एस. की साप्ताहिक समीक्षा करने का कष्ट करें।

(रश्मि अरूण शमी)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद
भोपाल

मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्, भोपाल

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन पंजीकृत संस्था)

द्वितीय तल, नर्मदा भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल - ४६२०११

क्रं./3786/MIS//एनआर-10/NREGS-MP/2010 भोपाल, दिनांक 20/04/2010

प्रति,

1. कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक
   महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक
   महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
   जिला पंचायत- **UMARIA**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2010-11 में एम.आई.एस. के माध्यम से एम.पी.आर. का सृजन बावत्।

——00——

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2009-10 में माह फरवरी 2010 के मासिक प्रगति प्रतिवेदन में प्रतिवेदित प्रगति की तुलना में आपके जिले की ऑनलाईन एम.आई.एस. प्रगति **मानव दिवस 49 प्रतिशत** तथा **पूर्ण कार्यों का 11 प्रतिशत** है।

भारत सरकार के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि वित्तीय वर्ष 2010-11 में माह अप्रैल 2010 से जिलों की मासिक प्रगति प्रतिवेदन एम.आई.एस. के माध्यम से ही मान्य किया जायेगा। भारत सरकार द्वारा जिलों का आवंटन एम.आई.एस. में दर्ज प्रगति के आधार पर ही किया जायेगा। अतः एम.आई.एस. में कमजोर प्रगति होने के कारण यदि वित्तीय आवंटन रोका जाता है तो जिले के अधिकारी जिम्मेदार होंगे। परिषद द्वारा जिलों को इस संबंध में पत्र एवं वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से अवगत कराया जा चुका है।

वित्तीय वर्ष 2010-11 में माह अप्रैल 2010 से योजना अंतर्गत संचालित कार्यों पर प्रत्येक सप्ताह उपयोग होने वाले मस्टररोल व व्यय की जानकारी अविलम्ब नियमित अपलोड किया जाना आवश्यक है।

दिनांक 3 अप्रैल 2010 को वीडियो कांफ्रेसिंग में वित्तीय वर्ष 2010-11 हेतु एम.आई.एस. से एम.पी.आर. तैयार करने की विस्तृत कार्य योजना से परिषद के सिस्टम एनालिस्ट एवं प्रभारी अधिकारी (एम.आई.एस.) से जिलों को अवगत कराया गया था तथा अप्रैल 2010 के प्रत्येक सप्ताह के मस्टररोल अविलम्ब अपलोड करने का अनुरोध किया गया था किन्तु दिनांक 19/4/2010 तक वित्तीय वर्ष 2010-11 के मस्टररोल वेबसाईट पर प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि आपका जिला/जनपदों द्वारा अपलोडिंग प्रारंभ नहीं की गई है। इस संबंध में यदि कोई कठिनाई हो तो तत्काल परिषद के सिस्टम एनालिस्ट एवं प्रभारी अधिकारी (एम.आई.एस.) से संपर्क किया जा सकता है।

अनुरोध है कि ग्राम पंचायतों एवं अन्य क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा कार्यों पर उपयोग मस्टररोल व व्यय आदि के एम.आई.एस. की साप्ताहिक समीक्षा करने का कष्ट करें।

(रश्मि अरूण शमी)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद
भोपाल

मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्, भोपाल

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन पंजीकृत संस्था)

द्वितीय तल, नर्मदा भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल - ४६२०११

क्रं./3787 /MIS//एनआर-10/NREGS-MP/2010 भोपाल, दिनांक 20/04/2010

प्रति,

1. कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक
   महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक
   महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
   जिला पंचायत– **ANUPPUR**

विषयः– वित्तीय वर्ष 2010–11 में एम.आई.एस. के माध्यम से एम.पी.आर. का सृजन बावत्।

——00——

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2009–10 में माह फरवरी 2010 के मासिक प्रगति प्रतिवेदन में प्रतिवेदित प्रगति की तुलना में आपके जिले की ऑनलाईन एम.आई.एस. प्रगति **मानव दिवस 36 प्रतिशत** तथा **पूर्ण कार्यों का 1 प्रतिशत** है।

भारत सरकार के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि वित्तीय वर्ष 2010–11 में माह अप्रैल 2010 से जिलों की मासिक प्रगति प्रतिवेदन एम.आई.एस. के माध्यम से ही मान्य किया जायेगा। भारत सरकार द्वारा जिलों का आवंटन एम.आई.एस. में दर्ज प्रगति के आधार पर ही किया जायेगा। अतः एम.आई.एस. में कमजोर प्रगति होने के कारण यदि वित्तीय आवंटन रोका जाता है तो जिले के अधिकारी जिम्मेदार होंगे। परिषद द्वारा जिलों को इस संबंध में पत्र एवं वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से अवगत कराया जा चुका है।

वित्तीय वर्ष 2010–11 में माह अप्रैल 2010 से योजना अंतर्गत संचालित कार्यों पर प्रत्येक सप्ताह उपयोग होने वाले मस्टररोल व व्यय की जानकारी अविलम्ब नियमित अपलोड किया जाना आवश्यक है।

दिनांक 3 अप्रैल 2010 को वीडियो कांफ्रेसिंग में वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु एम.आई.एस. से एम.पी.आर. तैयार करने की विस्तृत कार्य योजना से परिषद के सिस्टम एनालिस्ट एवं प्रभारी अधिकारी (एम.आई.एस.) से जिलों को अवगत कराया गया था तथा अप्रैल 2010 के प्रत्येक सप्ताह के मस्टररोल अविलम्ब अपलोड करने का अनुरोध किया गया था किन्तु दिनांक 19/4/2010 तक वित्तीय वर्ष 2010–11 के मस्टररोल वेबसाईट पर प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि आपका जिला/जनपदों द्वारा अपलोडिंग प्रारंभ नहीं की गई है। इस संबंध में यदि कोई कठिनाई हो तो तत्काल परिषद के सिस्टम एनालिस्ट एवं प्रभारी अधिकारी (एम.आई.एस.) से संपर्क किया जा सकता है।

अनुरोध है कि ग्राम पंचायतों एवं अन्य क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा कार्यों पर उपयोग मस्टररोल व व्यय आदि के एम.आई.एस. की साप्ताहिक समीक्षा करने का कष्ट करें।

(रश्मि अरूण शमी)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद
भोपाल

मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्, भोपाल

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन पंजीकृत संस्था)

द्वितीय तल, नर्मदा भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल - ४६२०११

क्रं./3788 /MIS//एनआर-10/NREGS-MP/2010 भोपाल, दिनांक 20/04/2010

प्रति,

1. कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक
   महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक
   महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
   जिला पंचायत– **BALAGHAT**

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2010–11 में एम.आई.एस. के माध्यम से एम.पी.आर. का सृजन बावत्।**

——00——

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2009–10 में माह फरवरी 2010 के मासिक प्रगति प्रतिवेदन में प्रतिवेदित प्रगति की तुलना में आपके जिले की ऑनलाईन एम.आई.एस. प्रगति **मानव दिवस 23 प्रतिशत** तथा **पूर्ण कार्यों का 3 प्रतिशत** है।

भारत सरकार के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि वित्तीय वर्ष 2010–11 में माह अप्रैल 2010 से जिलों की मासिक प्रगति प्रतिवेदन एम.आई.एस. के माध्यम से ही मान्य किया जायेगा। भारत सरकार द्वारा जिलों का आवंटन एम.आई.एस. में दर्ज प्रगति के आधार पर ही किया जायेगा। अतः एम.आई.एस. में कमजोर प्रगति होने के कारण यदि वित्तीय आवंटन रोका जाता है तो जिले के अधिकारी जिम्मेदार होंगे। परिषद द्वारा जिलों को इस संबंध में पत्र एवं वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से अवगत कराया जा चुका है।

वित्तीय वर्ष 2010–11 में माह अप्रैल 2010 से योजना अंतर्गत संचालित कार्यों पर प्रत्येक सप्ताह उपयोग होने वाले मस्टररोल व व्यय की जानकारी अविलम्ब नियमित अपलोड किया जाना आवश्यक है।

दिनांक 3 अप्रैल 2010 को वीडियो कांफ्रेसिंग में वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु एम.आई.एस. से एम.पी.आर. तैयार करने की विस्तृत कार्य योजना से परिषद के सिस्टम एनालिस्ट एवं प्रभारी अधिकारी (एम.आई.एस.) से जिलों को अवगत कराया गया था तथा अप्रैल 2010 के प्रत्येक सप्ताह के मस्टररोल अविलम्ब अपलोड करने का अनुरोध किया गया था किन्तु दिनांक 19/4/2010 तक वित्तीय वर्ष 2010–11 के मस्टररोल वेबसाईट पर प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि आपका जिला/जनपदों द्वारा अपलोडिंग प्रारंभ नहीं की गई है। इस संबंध में यदि कोई कठिनाई हो तो तत्काल परिषद के सिस्टम एनालिस्ट एवं प्रभारी अधिकारी (एम.आई.एस.) से संपर्क किया जा सकता है।

अनुरोध है कि ग्राम पंचायतों एवं अन्य क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा कार्यों पर उपयोग मस्टररोल व व्यय आदि के एम.आई.एस. की साप्ताहिक समीक्षा करने का कष्ट करें।

(रश्मि अरूण शमी)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद
भोपाल

मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्, भोपाल

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन पंजीकृत संस्था)

द्वितीय तल, नर्मदा भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल - ४६२०११

क्रं./3789/MIS//एनआर-10/NREGS-MP/2010 भोपाल, दिनांक 20/04/2010

प्रति,

1. कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक
   महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक
   महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
   जिला पंचायत– **BARWANI**

विषयः– वित्तीय वर्ष 2010–11 में एम.आई.एस. के माध्यम से एम.पी.आर. का सृजन बावत्।

——00——

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2009–10 में माह फरवरी 2010 के मासिक प्रगति प्रतिवेदन में प्रतिवेदित प्रगति की तुलना में आपके जिले की ऑनलाईन एम.आई.एस. प्रगति **मानव दिवस 28 प्रतिशत** तथा **पूर्ण कार्यों का 1 प्रतिशत** है।

भारत सरकार के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि वित्तीय वर्ष 2010–11 में माह अप्रैल 2010 से जिलों की मासिक प्रगति प्रतिवेदन एम.आई.एस. के माध्यम से ही मान्य किया जायेगा। भारत सरकार द्वारा जिलों का आवंटन एम.आई.एस. में दर्ज प्रगति के आधार पर ही किया जायेगा। अतः एम.आई.एस. में कमजोर प्रगति होने के कारण यदि वित्तीय आवंटन रोका जाता है तो जिले के अधिकारी जिम्मेदार होंगे। परिषद द्वारा जिलों को इस संबंध में पत्र एवं वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से अवगत कराया जा चुका है।

वित्तीय वर्ष 2010–11 में माह अप्रैल 2010 से योजना अंतर्गत संचालित कार्यों पर प्रत्येक सप्ताह उपयोग होने वाले मस्टररोल व व्यय की जानकारी अविलम्ब नियमित अपलोड किया जाना आवश्यक है।

दिनांक 3 अप्रैल 2010 को वीडियो कांफ्रेसिंग में वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु एम.आई.एस. से एम.पी.आर. तैयार करने की विस्तृत कार्य योजना से परिषद के सिस्टम एनालिस्ट एवं प्रभारी अधिकारी (एम.आई.एस.) से जिलों को अवगत कराया गया था तथा अप्रैल 2010 के प्रत्येक सप्ताह के मस्टररोल अविलम्ब अपलोड करने का अनुरोध किया गया था किन्तु दिनांक 19/4/2010 तक वित्तीय वर्ष 2010–11 के मस्टररोल वेबसाईट पर प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि आपका जिला/जनपदों द्वारा अपलोडिंग प्रारंभ नहीं की गई है। इस संबंध में यदि कोई कठिनाई हो तो तत्काल परिषद के सिस्टम एनालिस्ट एवं प्रभारी अधिकारी (एम.आई.एस.) से संपर्क किया जा सकता है।

अनुरोध है कि ग्राम पंचायतों एवं अन्य क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा कार्यों पर उपयोग मस्टररोल व व्यय आदि के एम.आई.एस. की साप्ताहिक समीक्षा करने का कष्ट करें।

(रश्मि अरूण शमी)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद
भोपाल

मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्, भोपाल

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन पंजीकृत संस्था)

द्वितीय तल, नर्मदा भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल - ४६२०११

क्रं./3790 /MIS//एनआर-10/NREGS-MP/2010 भोपाल, दिनांक 20/04/2010

प्रति,

1. कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक
   महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक
   महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
   जिला पंचायत– **BETUL**

विषयः– वित्तीय वर्ष 2010–11 में एम.आई.एस. के माध्यम से एम.पी.आर. का सृजन बावत्।

——00——

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2009–10 में माह फरवरी 2010 के मासिक प्रगति प्रतिवेदन में प्रतिवेदित प्रगति की तुलना में आपके जिले की ऑनलाईन एम.आई.एस. प्रगति **मानव दिवस 44 प्रतिशत** तथा **पूर्ण कार्यों का 25 प्रतिशत** है।

भारत सरकार के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि वित्तीय वर्ष 2010–11 में माह अप्रैल 2010 से जिलों की मासिक प्रगति प्रतिवेदन एम.आई.एस. के माध्यम से ही मान्य किया जायेगा। भारत सरकार द्वारा जिलों का आवंटन एम.आई.एस. में दर्ज प्रगति के आधार पर ही किया जायेगा। अतः एम.आई.एस. में कमजोर प्रगति होने के कारण यदि वित्तीय आवंटन रोका जाता है तो जिले के अधिकारी जिम्मेदार होंगे। परिषद द्वारा जिलों को इस संबंध में पत्र एवं वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से अवगत कराया जा चुका है।

वित्तीय वर्ष 2010–11 में माह अप्रैल 2010 से योजना अंतर्गत संचालित कार्यों पर प्रत्येक सप्ताह उपयोग होने वाले मस्टररोल व व्यय की जानकारी अविलम्ब नियमित अपलोड किया जाना आवश्यक है।

दिनांक 3 अप्रैल 2010 को वीडियो कांफ्रेसिंग में वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु एम.आई.एस. से एम.पी.आर. तैयार करने की विस्तृत कार्य योजना से परिषद के सिस्टम एनालिस्ट एवं प्रभारी अधिकारी (एम.आई.एस.) से जिलों को अवगत कराया गया था तथा अप्रैल 2010 के प्रत्येक सप्ताह के मस्टररोल अविलम्ब अपलोड करने का अनुरोध किया गया था किन्तु दिनांक 19/4/2010 तक वित्तीय वर्ष 2010–11 के मस्टररोल वेबसाईट पर प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि आपका जिला/जनपदों द्वारा अपलोडिंग प्रारंभ नहीं की गई है। इस संबंध में यदि कोई कठिनाई हो तो तत्काल परिषद के सिस्टम एनालिस्ट एवं प्रभारी अधिकारी (एम.आई.एस.) से संपर्क किया जा सकता है।

अनुरोध है कि ग्राम पंचायतों एवं अन्य क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा कार्यों पर उपयोग मस्टररोल व व्यय आदि के एम.आई.एस. की साप्ताहिक समीक्षा करने का कष्ट करें।

(रश्मि अरूण शमी)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद
भोपाल

मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्, भोपाल

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन पंजीकृत संस्था)

द्वितीय तल, नर्मदा भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल - ४६२०११

क्रं./3791 /MIS//एनआर-10/NREGS-MP/2010 भोपाल, दिनांक 20/04/2010

प्रति,

1. कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक
   महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक
   महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
   जिला पंचायत– **CHHATARPUR**

विषयः– वित्तीय वर्ष 2010–11 में एम.आई.एस. के माध्यम से एम.पी.आर. का सृजन बावत्।

——00——

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2009–10 में माह फरवरी 2010 के मासिक प्रगति प्रतिवेदन में प्रतिवेदित प्रगति की तुलना में आपके जिले की ऑनलाईन एम.आई.एस. प्रगति **मानव दिवस 42 प्रतिशत** तथा **पूर्ण कार्यों का 7 प्रतिशत** है।

भारत सरकार के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि वित्तीय वर्ष 2010–11 में माह अप्रैल 2010 से जिलों की मासिक प्रगति प्रतिवेदन एम.आई.एस. के माध्यम से ही मान्य किया जायेगा। भारत सरकार द्वारा जिलों का आवंटन एम.आई.एस. में दर्ज प्रगति के आधार पर ही किया जायेगा। अतः एम.आई.एस. में कमजोर प्रगति होने के कारण यदि वित्तीय आवंटन रोका जाता है तो जिले के अधिकारी जिम्मेदार होंगे। परिषद द्वारा जिलों को इस संबंध में पत्र एवं वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से अवगत कराया जा चुका है।

वित्तीय वर्ष 2010–11 में माह अप्रैल 2010 से योजना अंतर्गत संचालित कार्यों पर प्रत्येक सप्ताह उपयोग होने वाले मस्टररोल व व्यय की जानकारी अविलम्ब नियमित अपलोड किया जाना आवश्यक है।

दिनांक 3 अप्रैल 2010 को वीडियो कांफ्रेसिंग में वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु एम.आई.एस. से एम.पी.आर. तैयार करने की विस्तृत कार्य योजना से परिषद के सिस्टम एनालिस्ट एवं प्रभारी अधिकारी (एम.आई.एस.) से जिलों को अवगत कराया गया था तथा अप्रैल 2010 के प्रत्येक सप्ताह के मस्टररोल अविलम्ब अपलोड करने का अनुरोध किया गया था किन्तु दिनांक 19/4/2010 तक वित्तीय वर्ष 2010–11 के मस्टररोल वेबसाईट पर प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि आपका जिला/जनपदों द्वारा अपलोडिंग प्रारंभ नहीं की गई है। इस संबंध में यदि कोई कठिनाई हो तो तत्काल परिषद के सिस्टम एनालिस्ट एवं प्रभारी अधिकारी (एम.आई.एस.) से संपर्क किया जा सकता है।

अनुरोध है कि ग्राम पंचायतों एवं अन्य क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा कार्यों पर उपयोग मस्टररोल व व्यय आदि के एम.आई.एस. की साप्ताहिक समीक्षा करने का कष्ट करें।

(रश्मि अरूण शमी)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद
भोपाल

मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्, भोपाल

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन पंजीकृत संस्था)

द्वितीय तल, नर्मदा भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल - ४६२०११

क्रं./3792 /MIS//एनआर-10/NREGS-MP/2010 भोपाल, दिनांक 20/04/2010

प्रति,

1. कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक
   महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक
   महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
   जिला पंचायत– **DHAR**

विषयः– वित्तीय वर्ष 2010–11 में एम.आई.एस. के माध्यम से एम.पी.आर. का सृजन बावत्।

——00——

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2009–10 में माह फरवरी 2010 के मासिक प्रगति प्रतिवेदन में प्रतिवेदित प्रगति की तुलना में आपके जिले की ऑनलाईन एम.आई.एस. प्रगति **मानव दिवस 30 प्रतिशत** तथा **पूर्ण कार्यों का 1 प्रतिशत** है।

भारत सरकार के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि वित्तीय वर्ष 2010–11 में माह अप्रैल 2010 से जिलों की मासिक प्रगति प्रतिवेदन एम.आई.एस. के माध्यम से ही मान्य किया जायेगा। भारत सरकार द्वारा जिलों का आवंटन एम.आई.एस. में दर्ज प्रगति के आधार पर ही किया जायेगा। अतः एम.आई.एस. में कमजोर प्रगति होने के कारण यदि वित्तीय आवंटन रोका जाता है तो जिले के अधिकारी जिम्मेदार होंगे। परिषद द्वारा जिलों को इस संबंध में पत्र एवं वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से अवगत कराया जा चुका है।

वित्तीय वर्ष 2010–11 में माह अप्रैल 2010 से योजना अंतर्गत संचालित कार्यों पर प्रत्येक सप्ताह उपयोग होने वाले मस्टररोल व व्यय की जानकारी अविलम्ब नियमित अपलोड किया जाना आवश्यक है।

दिनांक 3 अप्रैल 2010 को वीडियो कांफ्रेसिंग में वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु एम.आई.एस. से एम.पी.आर. तैयार करने की विस्तृत कार्य योजना से परिषद के सिस्टम एनालिस्ट एवं प्रभारी अधिकारी (एम.आई.एस.) से जिलों को अवगत कराया गया था तथा अप्रैल 2010 के प्रत्येक सप्ताह के मस्टररोल अविलम्ब अपलोड करने का अनुरोध किया गया था किन्तु दिनांक 19/4/2010 तक वित्तीय वर्ष 2010–11 के मस्टररोल वेबसाईट पर प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि आपका जिला/जनपदों द्वारा अपलोडिंग प्रारंभ नहीं की गई है। इस संबंध में यदि कोई कठिनाई हो तो तत्काल परिषद के सिस्टम एनालिस्ट एवं प्रभारी अधिकारी (एम.आई.एस.) से संपर्क किया जा सकता है।

अनुरोध है कि ग्राम पंचायतों एवं अन्य क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा कार्यों पर उपयोग मस्टररोल व व्यय आदि के एम.आई.एस. की साप्ताहिक समीक्षा करने का कष्ट करें।

(रश्मि अरूण शमी)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद
भोपाल

मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्, भोपाल

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन पंजीकृत संस्था)

द्वितीय तल, नर्मदा भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल - ४६२०११

क्रं./3793 /MIS//एनआर-10/NREGS-MP/2010 भोपाल, दिनांक 20/04/2010

प्रति,

1. कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक
   महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक
   महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
   जिला पंचायत– **DINDORI**

विषयः– वित्तीय वर्ष 2010–11 में एम.आई.एस. के माध्यम से एम.पी.आर. का सृजन बावत्।

——00——

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2009–10 में माह फरवरी 2010 के मासिक प्रगति प्रतिवेदन में प्रतिवेदित प्रगति की तुलना में आपके जिले की ऑनलाईन एम.आई.एस. प्रगति **मानव दिवस 34 प्रतिशत** तथा **पूर्ण कार्यों का 7 प्रतिशत** है।

भारत सरकार के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि वित्तीय वर्ष 2010–11 में माह अप्रैल 2010 से जिलों की मासिक प्रगति प्रतिवेदन एम.आई.एस. के माध्यम से ही मान्य किया जायेगा। भारत सरकार द्वारा जिलों का आवंटन एम.आई.एस. में दर्ज प्रगति के आधार पर ही किया जायेगा। अतः एम.आई.एस. में कमजोर प्रगति होने के कारण यदि वित्तीय आवंटन रोका जाता है तो जिले के अधिकारी जिम्मेदार होंगे। परिषद द्वारा जिलों को इस संबंध में पत्र एवं वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से अवगत कराया जा चुका है।

वित्तीय वर्ष 2010–11 में माह अप्रैल 2010 से योजना अंतर्गत संचालित कार्यों पर प्रत्येक सप्ताह उपयोग होने वाले मस्टररोल व व्यय की जानकारी अविलम्ब नियमित अपलोड किया जाना आवश्यक है।

दिनांक 3 अप्रैल 2010 को वीडियो कांफ्रेसिंग में वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु एम.आई.एस. से एम.पी.आर. तैयार करने की विस्तृत कार्य योजना से परिषद के सिस्टम एनालिस्ट एवं प्रभारी अधिकारी (एम.आई.एस.) से जिलों को अवगत कराया गया था तथा अप्रैल 2010 के प्रत्येक सप्ताह के मस्टररोल अविलम्ब अपलोड करने का अनुरोध किया गया था किन्तु दिनांक 19/4/2010 तक वित्तीय वर्ष 2010–11 के मस्टररोल वेबसाईट पर प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि आपका जिला/जनपदों द्वारा अपलोडिंग प्रारंभ नहीं की गई है। इस संबंध में यदि कोई कठिनाई हो तो तत्काल परिषद के सिस्टम एनालिस्ट एवं प्रभारी अधिकारी (एम.आई.एस.) से संपर्क किया जा सकता है।

अनुरोध है कि ग्राम पंचायतों एवं अन्य क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा कार्यों पर उपयोग मस्टररोल व व्यय आदि के एम.आई.एस. की साप्ताहिक समीक्षा करने का कष्ट करें।

(रश्मि अरूण शमी)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद
भोपाल

मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्, भोपाल

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन पंजीकृत संस्था)

द्वितीय तल, नर्मदा भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल - ४६२०११

क्रं./3794 /MIS//एनआर-10/NREGS-MP/2010 भोपाल, दिनांक 20/04/2010

प्रति,

1. कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक
   महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक
   महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
   जिला पंचायत– **EAST NIMAR** (2905ai)

विषयः– वित्तीय वर्ष 2010–11 में एम.आई.एस. के माध्यम से एम.पी.आर. का सृजन बावत्।

——00——

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2009–10 में माह फरवरी 2010 के मासिक प्रगति प्रतिवेदन में प्रतिवेदित प्रगति की तुलना में आपके जिले की ऑनलाईन एम.आई.एस. प्रगति **मानव दिवस 23 प्रतिशत** तथा **पूर्ण कार्यो का 7 प्रतिशत** है।

भारत सरकार के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि वित्तीय वर्ष 2010–11 में माह अप्रैल 2010 से जिलों की मासिक प्रगति प्रतिवेदन एम.आई.एस. के माध्यम से ही मान्य किया जायेगा। भारत सरकार द्वारा जिलों का आवंटन एम.आई.एस. में दर्ज प्रगति के आधार पर ही किया जायेगा। अतः एम.आई.एस. में कमजोर प्रगति होने के कारण यदि वित्तीय आवंटन रोका जाता है तो जिले के अधिकारी जिम्मेदार होंगे। परिषद द्वारा जिलों को इस संबंध में पत्र एवं वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से अवगत कराया जा चुका है।

वित्तीय वर्ष 2010–11 में माह अप्रैल 2010 से योजना अंतर्गत संचालित कार्यों पर प्रत्येक सप्ताह उपयोग होने वाले मस्टररोल व व्यय की जानकारी अविलम्ब नियमित अपलोड किया जाना आवश्यक है।

दिनांक 3 अप्रैल 2010 को वीडियो कांफ्रेसिंग में वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु एम.आई.एस. से एम.पी.आर. तैयार करने की विस्तृत कार्य योजना से परिषद के सिस्टम एनालिस्ट एवं प्रभारी अधिकारी (एम.आई.एस.) से जिलों को अवगत कराया गया था तथा अप्रैल 2010 के प्रत्येक सप्ताह के मस्टररोल अविलम्ब अपलोड करने का अनुरोध किया गया था किन्तु दिनांक 19/4/2010 तक वित्तीय वर्ष 2010–11 के मस्टररोल वेबसाईट पर प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि आपका जिला/जनपदों द्वारा अपलोडिंग प्रारंभ नहीं की गई है। इस संबंध में यदि कोई कठिनाई हो तो तत्काल परिषद के सिस्टम एनालिस्ट एवं प्रभारी अधिकारी (एम.आई.एस.) से संपर्क किया जा सकता है।

अनुरोध है कि ग्राम पंचायतों एवं अन्य क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा कार्यो पर उपयोग मस्टररोल व व्यय आदि के एम.आई.एस. की साप्ताहिक समीक्षा करने का कष्ट करें।

(रश्मि अरूण शमी)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद
भोपाल

मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्, भोपाल

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन पंजीकृत संस्था)

द्वितीय तल, नर्मदा भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल - ४६२०११

क्रं./3795 /MIS//एनआर-10/NREGS-MP/2010 भोपाल, दिनांक 20/04/2010

प्रति,

1. कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक
   महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक
   महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
   जिला पंचायत- **JHABUA**

विषयः- **वित्तीय वर्ष 2010-11 में एम.आई.एस. के माध्यम से एम.पी.आर. का सृजन बावत्।**

——00——

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2009-10 में माह फरवरी 2010 के मासिक प्रगति प्रतिवेदन में प्रतिवेदित प्रगति की तुलना में आपके जिले की ऑनलाईन एम.आई.एस. प्रगति **मानव दिवस 29 प्रतिशत** तथा **पूर्ण कार्यों का 0 प्रतिशत** है।

भारत सरकार के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि वित्तीय वर्ष 2010-11 में माह अप्रैल 2010 से जिलों की मासिक प्रगति प्रतिवेदन एम.आई.एस. के माध्यम से ही मान्य किया जायेगा। भारत सरकार द्वारा जिलों का आवंटन एम.आई.एस. में दर्ज प्रगति के आधार पर ही किया जायेगा। अतः एम.आई.एस. में कमजोर प्रगति होने के कारण यदि वित्तीय आवंटन रोका जाता है तो जिले के अधिकारी जिम्मेदार होंगे। परिषद द्वारा जिलों को इस संबंध में पत्र एवं वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से अवगत कराया जा चुका है।

वित्तीय वर्ष 2010-11 में माह अप्रैल 2010 से योजना अंतर्गत संचालित कार्यों पर प्रत्येक सप्ताह उपयोग होने वाले मस्टररोल व व्यय की जानकारी अविलम्ब नियमित अपलोड किया जाना आवश्यक है।

दिनांक 3 अप्रैल 2010 को वीडियो कांफ्रेसिंग में वित्तीय वर्ष 2010-11 हेतु एम.आई.एस. से एम.पी.आर. तैयार करने की विस्तृत कार्य योजना से परिषद के सिस्टम एनालिस्ट एवं प्रभारी अधिकारी (एम.आई.एस.) से जिलों को अवगत कराया गया था तथा अप्रैल 2010 के प्रत्येक सप्ताह के मस्टररोल अविलम्ब अपलोड करने का अनुरोध किया गया था किन्तु दिनांक 19/4/2010 तक वित्तीय वर्ष 2010-11 के मस्टररोल वेबसाईट पर प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि आपका जिला/जनपदों द्वारा अपलोडिंग प्रारंभ नहीं की गई है। इस संबंध में यदि कोई कठिनाई हो तो तत्काल परिषद के सिस्टम एनालिस्ट एवं प्रभारी अधिकारी (एम.आई.एस.) से संपर्क किया जा सकता है।

अनुरोध है कि ग्राम पंचायतों एवं अन्य क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा कार्यों पर उपयोग मस्टररोल व व्यय आदि के एम.आई.एस. की साप्ताहिक समीक्षा करने का कष्ट करें।

(रश्मि अरूण शमी)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद
भोपाल

मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्, भोपाल

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन पंजीकृत संस्था)

द्वितीय तल, नर्मदा भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल - ४६२०११

क्रं./3796 /MIS//एनआर-10/NREGS-MP/2010 भोपाल, दिनांक 20/04/2010

प्रति,

1. कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक
   महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक
   महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
   जिला पंचायत– **KHARGONE**

विषयः– वित्तीय वर्ष 2010–11 में एम.आई.एस. के माध्यम से एम.पी.आर. का सृजन बावत्।

——00——

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2009–10 में माह फरवरी 2010 के मासिक प्रगति प्रतिवेदन में प्रतिवेदित प्रगति की तुलना में आपके जिले की ऑनलाईन एम.आई.एस. प्रगति **मानव दिवस 42 प्रतिशत** तथा **पूर्ण कार्यों का 10 प्रतिशत** है।

भारत सरकार के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि वित्तीय वर्ष 2010–11 में माह अप्रैल 2010 से जिलों की मासिक प्रगति प्रतिवेदन एम.आई.एस. के माध्यम से ही मान्य किया जायेगा। भारत सरकार द्वारा जिलों का आवंटन एम.आई.एस. में दर्ज प्रगति के आधार पर ही किया जायेगा। अतः एम.आई.एस. में कमजोर प्रगति होने के कारण यदि वित्तीय आवंटन रोका जाता है तो जिले के अधिकारी जिम्मेदार होंगे। परिषद द्वारा जिलों को इस संबंध में पत्र एवं वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से अवगत कराया जा चुका है।

वित्तीय वर्ष 2010–11 में माह अप्रैल 2010 से योजना अंतर्गत संचालित कार्यों पर प्रत्येक सप्ताह उपयोग होने वाले मस्टररोल व व्यय की जानकारी अविलम्ब नियमित अपलोड किया जाना आवश्यक है।

दिनांक 3 अप्रैल 2010 को वीडियो कांफ्रेसिंग में वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु एम.आई.एस. से एम.पी.आर. तैयार करने की विस्तृत कार्य योजना से परिषद के सिस्टम एनालिस्ट एवं प्रभारी अधिकारी (एम.आई.एस.) से जिलों को अवगत कराया गया था तथा अप्रैल 2010 के प्रत्येक सप्ताह के मस्टररोल अविलम्ब अपलोड करने का अनुरोध किया गया था किन्तु दिनांक 19/4/2010 तक वित्तीय वर्ष 2010–11 के मस्टररोल वेबसाईट पर प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि आपका जिला/जनपदों द्वारा अपलोडिंग प्रारंभ नहीं की गई है। इस संबंध में यदि कोई कठिनाई हो तो तत्काल परिषद के सिस्टम एनालिस्ट एवं प्रभारी अधिकारी (एम.आई.एस.) से संपर्क किया जा सकता है।

अनुरोध है कि ग्राम पंचायतों एवं अन्य क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा कार्यों पर उपयोग मस्टररोल व व्यय आदि के एम.आई.एस. की साप्ताहिक समीक्षा करने का कष्ट करें।

(रश्मि अरूण शमी)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद
भोपाल

मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्, भोपाल

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन पंजीकृत संस्था)

द्वितीय तल, नर्मदा भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल - ४६२०११

क्रं./3797 /MIS//एनआर-10/NREGS-MP/2010 भोपाल, दिनांक 20/04/2010

प्रति,

1. कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक
   महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक
   महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
   जिला पंचायत– **MANDLA**

विषयः– वित्तीय वर्ष 2010–11 में एम.आई.एस. के माध्यम से एम.पी.आर. का सृजन बावत्।

——00——

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2009–10 में माह फरवरी 2010 के मासिक प्रगति प्रतिवेदन में प्रतिवेदित प्रगति की तुलना में आपके जिले की ऑनलाईन एम.आई.एस. प्रगति **मानव दिवस 19 प्रतिशत** तथा **पूर्ण कार्यों का 1 प्रतिशत** है।

भारत सरकार के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि वित्तीय वर्ष 2010–11 में माह अप्रैल 2010 से जिलों की मासिक प्रगति प्रतिवेदन एम.आई.एस. के माध्यम से ही मान्य किया जायेगा। भारत सरकार द्वारा जिलों का आवंटन एम.आई.एस. में दर्ज प्रगति के आधार पर ही किया जायेगा। अतः एम.आई.एस. में कमजोर प्रगति होने के कारण यदि वित्तीय आवंटन रोका जाता है तो जिले के अधिकारी जिम्मेदार होंगे। परिषद द्वारा जिलों को इस संबंध में पत्र एवं वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से अवगत कराया जा चुका है।

वित्तीय वर्ष 2010–11 में माह अप्रैल 2010 से योजना अंतर्गत संचालित कार्यों पर प्रत्येक सप्ताह उपयोग होने वाले मस्टररोल व व्यय की जानकारी अविलम्ब नियमित अपलोड किया जाना आवश्यक है।

दिनांक 3 अप्रैल 2010 को वीडियो कांफ्रेसिंग में वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु एम.आई.एस. से एम.पी.आर. तैयार करने की विस्तृत कार्य योजना से परिषद के सिस्टम एनालिस्ट एवं प्रभारी अधिकारी (एम.आई.एस.) से जिलों को अवगत कराया गया था तथा अप्रैल 2010 के प्रत्येक सप्ताह के मस्टररोल अविलम्ब अपलोड करने का अनुरोध किया गया था किन्तु दिनांक 19/4/2010 तक वित्तीय वर्ष 2010–11 के मस्टररोल वेबसाईट पर प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि आपका जिला/जनपदों द्वारा अपलोडिंग प्रारंभ नहीं की गई है। इस संबंध में यदि कोई कठिनाई हो तो तत्काल परिषद के सिस्टम एनालिस्ट एवं प्रभारी अधिकारी (एम.आई.एस.) से संपर्क किया जा सकता है।

अनुरोध है कि ग्राम पंचायतों एवं अन्य क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा कार्यों पर उपयोग मस्टररोल व व्यय आदि के एम.आई.एस. की साप्ताहिक समीक्षा करने का कष्ट करें।

(रश्मि अरूण शमी)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद
भोपाल

मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्, भोपाल

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन पंजीकृत संस्था)

द्वितीय तल, नर्मदा भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल - ४६२०११

क्रं./3798 /MIS//एनआर-10/NREGS-MP/2010 भोपाल, दिनांक 29/04/2010

प्रति,

1. कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक
   महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक
   महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
   जिला पंचायत– **SATNA**

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2010–11 में एम.आई.एस. के माध्यम से एम.पी.आर. का सृजन बावत्।**

——00——

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2009–10 में माह फरवरी 2010 के मासिक प्रगति प्रतिवेदन में प्रतिवेदित प्रगति की तुलना में आपके जिले की ऑनलाईन एम.आई.एस. प्रगति **मानव दिवस 29 प्रतिशत** तथा **पूर्ण कार्यों का 5 प्रतिशत** है।

भारत सरकार के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि वित्तीय वर्ष 2010–11 में माह अप्रैल 2010 से जिलों की मासिक प्रगति प्रतिवेदन एम.आई.एस. के माध्यम से ही मान्य किया जायेगा। भारत सरकार द्वारा जिलों का आवंटन एम.आई.एस. में दर्ज प्रगति के आधार पर ही किया जायेगा। अतः एम.आई.एस. में कमजोर प्रगति होने के कारण यदि वित्तीय आवंटन रोका जाता है तो जिले के अधिकारी जिम्मेदार होंगे। परिषद द्वारा जिलों को इस संबंध में पत्र एवं वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से अवगत कराया जा चुका है।

वित्तीय वर्ष 2010–11 में माह अप्रैल 2010 से योजना अंतर्गत संचालित कार्यों पर प्रत्येक सप्ताह उपयोग होने वाले मस्टररोल व व्यय की जानकारी अविलम्ब नियमित अपलोड किया जाना आवश्यक है।

दिनांक 3 अप्रैल 2010 को वीडियो कांफ्रेसिंग में वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु एम.आई.एस. से एम.पी.आर. तैयार करने की विस्तृत कार्य योजना से परिषद के सिस्टम एनालिस्ट एवं प्रभारी अधिकारी (एम.आई.एस.) से जिलों को अवगत कराया गया था तथा अप्रैल 2010 के प्रत्येक सप्ताह के मस्टररोल अविलम्ब अपलोड करने का अनुरोध किया गया था किन्तु दिनांक 19/4/2010 तक वित्तीय वर्ष 2010–11 के मस्टररोल वेबसाईट पर प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि आपका जिला/जनपदों द्वारा अपलोडिंग प्रारंभ नहीं की गई है। इस संबंध में यदि कोई कठिनाई हो तो तत्काल परिषद के सिस्टम एनालिस्ट एवं प्रभारी अधिकारी (एम.आई.एस.) से संपर्क किया जा सकता है।

अनुरोध है कि ग्राम पंचायतों एवं अन्य क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा कार्यों पर उपयोग मस्टररोल व व्यय आदि के एम.आई.एस. की साप्ताहिक समीक्षा करने का कष्ट करें।

(रश्मि अरूण शमी)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद
भोपाल

मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्, भोपाल

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन पंजीकृत संस्था)

द्वितीय तल, नर्मदा भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल - ४६२०११

क्रं./3799 /MIS//एनआर-10/NREGS-MP/2010 भोपाल, दिनांक 20/04/2010

प्रति,

1. कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक
   महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक
   महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
   जिला पंचायत– **SEONI**

विषयः– वित्तीय वर्ष 2010–11 में एम.आई.एस. के माध्यम से एम.पी.आर. का सृजन बावत्।

——00——

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2009–10 में माह फरवरी 2010 के मासिक प्रगति प्रतिवेदन में प्रतिवेदित प्रगति की तुलना में आपके जिले की ऑनलाईन एम.आई.एस. प्रगति **मानव दिवस 61 प्रतिशत** तथा **पूर्ण कार्यों का 6 प्रतिशत** है।

भारत सरकार के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि वित्तीय वर्ष 2010–11 में माह अप्रैल 2010 से जिलों की मासिक प्रगति प्रतिवेदन एम.आई.एस. के माध्यम से ही मान्य किया जायेगा। भारत सरकार द्वारा जिलों का आवंटन एम.आई.एस. में दर्ज प्रगति के आधार पर ही किया जायेगा। अतः एम.आई.एस. में कमजोर प्रगति होने के कारण यदि वित्तीय आवंटन रोका जाता है तो जिले के अधिकारी जिम्मेदार होंगे। परिषद द्वारा जिलों को इस संबंध में पत्र एवं वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से अवगत कराया जा चुका है।

वित्तीय वर्ष 2010–11 में माह अप्रैल 2010 से योजना अंतर्गत संचालित कार्यों पर प्रत्येक सप्ताह उपयोग होने वाले मस्टररोल व व्यय की जानकारी अविलम्ब नियमित अपलोड किया जाना आवश्यक है।

दिनांक 3 अप्रैल 2010 को वीडियो कांफ्रेसिंग में वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु एम.आई.एस. से एम.पी.आर. तैयार करने की विस्तृत कार्य योजना से परिषद के सिस्टम एनालिस्ट एवं प्रभारी अधिकारी (एम.आई.एस.) से जिलों को अवगत कराया गया था तथा अप्रैल 2010 के प्रत्येक सप्ताह के मस्टररोल अविलम्ब अपलोड करने का अनुरोध किया गया था किन्तु दिनांक 19/4/2010 तक वित्तीय वर्ष 2010–11 के मस्टररोल वेबसाईट पर प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि आपका जिला/जनपदों द्वारा अपलोडिंग प्रारंभ नहीं की गई है। इस संबंध में यदि कोई कठिनाई हो तो तत्काल परिषद के सिस्टम एनालिस्ट एवं प्रभारी अधिकारी (एम.आई.एस.) से संपर्क किया जा सकता है।

अनुरोध है कि ग्राम पंचायतों एवं अन्य क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा कार्यों पर उपयोग मस्टररोल व व्यय आदि के एम.आई.एस. की साप्ताहिक समीक्षा करने का कष्ट करें।

(रश्मि अरूण शमी)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद
भोपाल

मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्, भोपाल

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन पंजीकृत संस्था)

द्वितीय तल, नर्मदा भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल - ४६२०११

क्रं./3800 /MIS//एनआर-10/NREGS-MP/2010 भोपाल, दिनांक 20/04/2010

प्रति,

1. कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक
   महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक
   महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
   जिला पंचायत– **SHAHDOL**

विषयः– वित्तीय वर्ष 2010–11 में एम.आई.एस. के माध्यम से एम.पी.आर. का सृजन बावत्।

——00——

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2009–10 में माह फरवरी 2010 के मासिक प्रगति प्रतिवेदन में प्रतिवेदित प्रगति की तुलना में आपके जिले की ऑनलाईन एम.आई.एस. प्रगति **मानव दिवस 38 प्रतिशत** तथा **पूर्ण कार्यों का 8 प्रतिशत** है।

भारत सरकार के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि वित्तीय वर्ष 2010–11 में माह अप्रैल 2010 से जिलों की मासिक प्रगति प्रतिवेदन एम.आई.एस. के माध्यम से ही मान्य किया जायेगा। भारत सरकार द्वारा जिलों का आवंटन एम.आई.एस. में दर्ज प्रगति के आधार पर ही किया जायेगा। अतः एम.आई.एस. में कमजोर प्रगति होने के कारण यदि वित्तीय आवंटन रोका जाता है तो जिले के अधिकारी जिम्मेदार होंगे। परिषद द्वारा जिलों को इस संबंध में पत्र एवं वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से अवगत कराया जा चुका है।

वित्तीय वर्ष 2010–11 में माह अप्रैल 2010 से योजना अंतर्गत संचालित कार्यों पर प्रत्येक सप्ताह उपयोग होने वाले मस्टररोल व व्यय की जानकारी अविलम्ब नियमित अपलोड किया जाना आवश्यक है।

दिनांक 3 अप्रैल 2010 को वीडियो कांफ्रेसिंग में वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु एम.आई.एस. से एम.पी.आर. तैयार करने की विस्तृत कार्य योजना से परिषद के सिस्टम एनालिस्ट एवं प्रभारी अधिकारी (एम.आई.एस.) से जिलों को अवगत कराया गया था तथा अप्रैल 2010 के प्रत्येक सप्ताह के मस्टररोल अविलम्ब अपलोड करने का अनुरोध किया गया था किन्तु दिनांक 19/4/2010 तक वित्तीय वर्ष 2010–11 के मस्टररोल वेबसाईट पर प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि आपका जिला/जनपदों द्वारा अपलोडिंग प्रारंभ नहीं की गई है। इस संबंध में यदि कोई कठिनाई हो तो तत्काल परिषद के सिस्टम एनालिस्ट एवं प्रभारी अधिकारी (एम.आई.एस.) से संपर्क किया जा सकता है।

अनुरोध है कि ग्राम पंचायतों एवं अन्य क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा कार्यों पर उपयोग मस्टररोल व व्यय आदि के एम.आई.एस. की साप्ताहिक समीक्षा करने का कष्ट करें।

(रश्मि अरूण शमी)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद
भोपाल

मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्, भोपाल

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन पंजीकृत संस्था)

द्वितीय तल, नर्मदा भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल - ४६२०११

क्रं./3801 /MIS/एनआर-10/NREGS-MP/2010 भोपाल, दिनांक 20/04/2010

प्रति,

1. कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक
   महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक
   महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
   जिला पंचायत– **SHEOPUR**

विषयः– वित्तीय वर्ष 2010–11 में एम.आई.एस. के माध्यम से एम.पी.आर. का सृजन बावत्।

——00——

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2009–10 में माह फरवरी 2010 के मासिक प्रगति प्रतिवेदन में प्रतिवेदित प्रगति की तुलना में आपके जिले की ऑनलाईन एम.आई.एस. प्रगति **मानव दिवस 26 प्रतिशत** तथा **पूर्ण कार्यों का 0 प्रतिशत** है।

भारत सरकार के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि वित्तीय वर्ष 2010–11 में माह अप्रैल 2010 से जिलों की मासिक प्रगति प्रतिवेदन एम.आई.एस. के माध्यम से ही मान्य किया जायेगा। भारत सरकार द्वारा जिलों का आवंटन एम.आई.एस. में दर्ज प्रगति के आधार पर ही किया जायेगा। अतः एम.आई.एस. में कमजोर प्रगति होने के कारण यदि वित्तीय आवंटन रोका जाता है तो जिले के अधिकारी जिम्मेदार होंगे। परिषद द्वारा जिलों को इस संबंध में पत्र एवं वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से अवगत कराया जा चुका है।

वित्तीय वर्ष 2010–11 में माह अप्रैल 2010 से योजना अंतर्गत संचालित कार्यों पर प्रत्येक सप्ताह उपयोग होने वाले मस्टररोल व व्यय की जानकारी अविलम्ब नियमित अपलोड किया जाना आवश्यक है।

दिनांक 3 अप्रैल 2010 को वीडियो कांफ्रेसिंग में वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु एम.आई.एस. से एम.पी.आर. तैयार करने की विस्तृत कार्य योजना से परिषद के सिस्टम एनालिस्ट एवं प्रभारी अधिकारी (एम.आई.एस.) से जिलों को अवगत कराया गया था तथा अप्रैल 2010 के प्रत्येक सप्ताह के मस्टररोल अविलम्ब अपलोड करने का अनुरोध किया गया था किन्तु दिनांक 19/4/2010 तक वित्तीय वर्ष 2010–11 के मस्टररोल वेबसाईट पर प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि आपका जिला/जनपदों द्वारा अपलोडिंग प्रारंभ नहीं की गई है। इस संबंध में यदि कोई कठिनाई हो तो तत्काल परिषद के सिस्टम एनालिस्ट एवं प्रभारी अधिकारी (एम.आई.एस.) से संपर्क किया जा सकता है।

अनुरोध है कि ग्राम पंचायतों एवं अन्य क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा कार्यों पर उपयोग मस्टररोल व व्यय आदि के एम.आई.एस. की साप्ताहिक समीक्षा करने का कष्ट करें।

(रश्मि अरूण शमी)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद
भोपाल

मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्, भोपाल

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन पंजीकृत संस्था)

द्वितीय तल, नर्मदा भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल - ४६२०११

क्रं./3802/MIS//एनआर-10/NREGS-MP/2010 भोपाल, दिनांक 20/04/2010

प्रति,

1. कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक
   महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक
   महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
   जिला पंचायत– **SHIVPURI**

विषयः– वित्तीय वर्ष 2010–11 में एम.आई.एस. के माध्यम से एम.पी.आर. का सृजन बावत्।

——00——

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2009–10 में माह फरवरी 2010 के मासिक प्रगति प्रतिवेदन में प्रतिवेदित प्रगति की तुलना में आपके जिले की ऑनलाईन एम.आई.एस. प्रगति **मानव दिवस 30 प्रतिशत** तथा **पूर्ण कार्यों का 26 प्रतिशत** है।

भारत सरकार के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि वित्तीय वर्ष 2010–11 में माह अप्रैल 2010 से जिलों की मासिक प्रगति प्रतिवेदन एम.आई.एस. के माध्यम से ही मान्य किया जायेगा। भारत सरकार द्वारा जिलों का आवंटन एम.आई.एस. में दर्ज प्रगति के आधार पर ही किया जायेगा। अतः एम.आई.एस. में कमजोर प्रगति होने के कारण यदि वित्तीय आवंटन रोका जाता है तो जिले के अधिकारी जिम्मेदार होंगे। परिषद द्वारा जिलों को इस संबंध में पत्र एवं वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से अवगत कराया जा चुका है।

वित्तीय वर्ष 2010–11 में माह अप्रैल 2010 से योजना अंतर्गत संचालित कार्यों पर प्रत्येक सप्ताह उपयोग होने वाले मस्टररोल व व्यय की जानकारी अविलम्ब नियमित अपलोड किया जाना आवश्यक है।

दिनांक 3 अप्रैल 2010 को वीडियो कांफ्रेसिंग में वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु एम.आई.एस. से एम.पी.आर. तैयार करने की विस्तृत कार्य योजना से परिषद के सिस्टम एनालिस्ट एवं प्रभारी अधिकारी (एम.आई.एस.) से जिलों को अवगत कराया गया था तथा अप्रैल 2010 के प्रत्येक सप्ताह के मस्टररोल अविलम्ब अपलोड करने का अनुरोध किया गया था किन्तु दिनांक 19/4/2010 तक वित्तीय वर्ष 2010–11 के मस्टररोल वेबसाईट पर प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि आपका जिला/जनपदों द्वारा अपलोडिंग प्रारंभ नहीं की गई है। इस संबंध में यदि कोई कठिनाई हो तो तत्काल परिषद के सिस्टम एनालिस्ट एवं प्रभारी अधिकारी (एम.आई.एस.) से संपर्क किया जा सकता है।

अनुरोध है कि ग्राम पंचायतों एवं अन्य क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा कार्यों पर उपयोग मस्टररोल व व्यय आदि के एम.आई.एस. की साप्ताहिक समीक्षा करने का कष्ट करें।

(रश्मि अरूण शमी)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद
भोपाल

मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्, भोपाल

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन पंजीकृत संस्था)

द्वितीय तल, नर्मदा भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल - ४६२०११

क्रं./3803/MIS//एनआर-10/NREGS-MP/2010 भोपाल, दिनांक 20/04/2010

प्रति,

1. कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक
   महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक
   महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
   जिला पंचायत– **SIDHI**

विषयः– वित्तीय वर्ष 2010–11 में एम.आई.एस. के माध्यम से एम.पी.आर. का सृजन बावत्।

——00——

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2009–10 में माह फरवरी 2010 के मासिक प्रगति प्रतिवेदन में प्रतिवेदित प्रगति की तुलना में आपके जिले की ऑनलाईन एम.आई.एस. प्रगति **मानव दिवस 11 प्रतिशत** तथा **पूर्ण कार्यों का 0 प्रतिशत** है।

भारत सरकार के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि वित्तीय वर्ष 2010–11 में माह अप्रैल 2010 से जिलों की मासिक प्रगति प्रतिवेदन एम.आई.एस. के माध्यम से ही मान्य किया जायेगा। भारत सरकार द्वारा जिलों का आवंटन एम.आई.एस. में दर्ज प्रगति के आधार पर ही किया जायेगा। अतः एम.आई.एस. में कमजोर प्रगति होने के कारण यदि वित्तीय आवंटन रोका जाता है तो जिले के अधिकारी जिम्मेदार होंगे। परिषद द्वारा जिलों को इस संबंध में पत्र एवं वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से अवगत कराया जा चुका है।

वित्तीय वर्ष 2010–11 में माह अप्रैल 2010 से योजना अंतर्गत संचालित कार्यों पर प्रत्येक सप्ताह उपयोग होने वाले मस्टररोल व व्यय की जानकारी अविलम्ब नियमित अपलोड किया जाना आवश्यक है।

दिनांक 3 अप्रैल 2010 को वीडियो कांफ्रेसिंग में वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु एम.आई.एस. से एम.पी.आर. तैयार करने की विस्तृत कार्य योजना से परिषद के सिस्टम एनालिस्ट एवं प्रभारी अधिकारी (एम.आई.एस.) से जिलों को अवगत कराया गया था तथा अप्रैल 2010 के प्रत्येक सप्ताह के मस्टररोल अविलम्ब अपलोड करने का अनुरोध किया गया था किन्तु दिनांक 19/4/2010 तक वित्तीय वर्ष 2010–11 के मस्टररोल वेबसाईट पर प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि आपका जिला/जनपदों द्वारा अपलोडिंग प्रारंभ नहीं की गई है। इस संबंध में यदि कोई कठिनाई हो तो तत्काल परिषद के सिस्टम एनालिस्ट एवं प्रभारी अधिकारी (एम.आई.एस.) से संपर्क किया जा सकता है।

अनुरोध है कि ग्राम पंचायतों एवं अन्य क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा कार्यों पर उपयोग मस्टररोल व व्यय आदि के एम.आई.एस. की साप्ताहिक समीक्षा करने का कष्ट करें।

(रश्मि अरूण शमी)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद
भोपाल

मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्, भोपाल

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन पंजीकृत संस्था)

द्वितीय तल, नर्मदा भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल - ४६२०११

क्रं./3804 /MIS//एनआर-10/NREGS-MP/2010 भोपाल, दिनांक 26/04/2010

प्रति,

1. कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक
   महात्मा गांधो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक
   महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
   जिला पंचायत– **KATNI**

विषयः– वित्तीय वर्ष 2010–11 में एम.आई.एस. के माध्यम से एम.पी.आर. का सृजन बाबत्।

——00——

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2009–10 में माह फरवरी 2010 के मासिक प्रगति प्रतिवेदन में प्रतिवेदित प्रगति की तुलना में आपके जिले की ऑनलाईन एम.आई.एस. प्रगति **मानव दिवस 40 प्रतिशत** तथा **पूर्ण कार्यों का 5 प्रतिशत** है।

भारत सरकार के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि वित्तीय वर्ष 2010–11 में माह अप्रैल 2010 से जिलों की मासिक प्रगति प्रतिवेदन एम.आई.एस. के माध्यम से ही मान्य किया जायेगा। भारत सरकार द्वारा जिलों का आवंटन एम.आई.एस. में दर्ज प्रगति के आधार पर ही किया जायेगा। अतः एम.आई.एस. में कमजोर प्रगति होने के कारण यदि वित्तीय आवंटन रोका जाता है तो जिले के अधिकारी जिम्मेदार होंगे। परिषद द्वारा जिलों को इस संबंध में पत्र एवं वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से अवगत कराया जा चुका है।

वित्तीय वर्ष 2010–11 में माह अप्रैल 2010 से योजना अंतर्गत संचालित कार्यों पर प्रत्येक सप्ताह उपयोग होने वाले मस्टररोल व व्यय की जानकारी अविलम्ब नियमित अपलोड किया जाना आवश्यक है।

दिनांक 3 अप्रैल 2010 को वीडियो कांफ्रेसिंग में वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु एम.आई.एस. से एम.पी.आर. तैयार करने की विस्तृत कार्य योजना से परिषद के सिस्टम एनालिस्ट एवं प्रभारी अधिकारी (एम.आई.एस.) से जिलों को अवगत कराया गया था तथा अप्रैल 2010 के प्रत्येक सप्ताह के मस्टररोल अविलम्ब अपलोड करने का अनुरोध किया गया था किन्तु दिनांक 19/4/2010 तक वित्तीय वर्ष 2010–11 के मस्टररोल वेबसाईट पर प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि आपका जिला/जनपदों द्वारा अपलोडिंग प्रारंभ नहीं की गई है। इस संबंध में यदि कोई कठिनाई हो तो तत्काल परिषद के सिस्टम एनालिस्ट एवं प्रभारी अधिकारी (एम.आई.एस.) से संपर्क किया जा सकता है।

अनुरोध है कि ग्राम पंचायतों एवं अन्य क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा कार्यों पर उपयोग मस्टररोल व व्यय आदि के एम.आई.एस. की साप्ताहिक समीक्षा करने का कष्ट करें।

(रश्मि अरूण शमी)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद
भोपाल

मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्, भोपाल

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन पंजीकृत संस्था)

द्वितीय तल, नर्मदा भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल -- ४६२०११

क्रं./3805 /MIS//एनआर-10/NREGS-MP/2010 भोपाल, दिनांक 20/04/2010

प्रति,

1. कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक
   महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक
   महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
   जिला पंचायत– PANNA

विषयः– वित्तीय वर्ष 2010–11 में एम.आई.एस. के माध्यम से एम.पी.आर. का सृजन बावत्।

——00——

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2009–10 में माह फरवरी 2010 के मासिक प्रगति प्रतिवेदन में प्रतिवेदित प्रगति की तुलना में आपके जिले की ऑनलाईन एम.आई.एस. प्रगति **मानव दिवस 42 प्रतिशत** तथा **पूर्ण कार्यों का 0 प्रतिशत** है।

भारत सरकार के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि वित्तीय वर्ष 2010–11 में माह अप्रैल 2010 से जिलों की मासिक प्रगति प्रतिवेदन एम.आई.एस. के माध्यम से ही मान्य किया जायेगा। भारत सरकार द्वारा जिलों का आवंटन एम.आई.एस. में दर्ज प्रगति के आधार पर ही किया जायेगा। अतः एम.आई.एस. में कमजोर प्रगति होने के कारण यदि वित्तीय आवंटन रोका जाता है तो जिले के अधिकारी जिम्मेदार होंगे। परिषद द्वारा जिलों को इस संबंध में पत्र एवं वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से अवगत कराया जा चुका है।

वित्तीय वर्ष 2010–11 में माह अप्रैल 2010 से योजना अंतर्गत संचालित कार्यों पर प्रत्येक सप्ताह उपयोग होने वाले मस्टररोल व व्यय की जानकारी अविलम्ब नियमित अपलोड किया जाना आवश्यक है।

दिनांक 3 अप्रैल 2010 को वीडियो कांफ्रेसिंग में वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु एम.आई.एस. से एम.पी.आर. तैयार करने की विस्तृत कार्य योजना से परिषद के सिस्टम एनालिस्ट एवं प्रभारी अधिकारी (एम.आई.एस.) से जिलों को अवगत कराया गया था तथा अप्रैल 2010 के प्रत्येक सप्ताह के मस्टररोल अविलम्ब अपलोड करने का अनुरोध किया गया था किन्तु दिनांक 19/4/2010 तक वित्तीय वर्ष 2010–11 के मस्टररोल वेबसाईट पर प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि आपका जिला/जनपदों द्वारा अपलोडिंग प्रारंभ नहीं की गई है। इस संबंध में यदि कोई कठिनाई हो तो तत्काल परिषद के सिस्टम एनालिस्ट एवं प्रभारी अधिकारी (एम.आई.एस.) से संपर्क किया जा सकता है।

अनुरोध है कि ग्राम पंचायतों एवं अन्य क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा कार्यों पर उपयोग मस्टररोल व व्यय आदि के एम.आई.एस. की साप्ताहिक समीक्षा करने का कष्ट करें।

(रश्मि अरूण शमी)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद
भोपाल

मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्, भोपाल

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन पंजीकृत संस्था)

द्वितीय तल, नर्मदा भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल - ४६२०११

क्रं./3806 /MIS//एनआर-10/NREGS-MP/2010 भोपाल, दिनांक 20/04/2010

प्रति,

1. कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक
   महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक
   महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
   जिला पंचायत– **RAJGARH**

विषयः– वित्तीय वर्ष 2010–11 में एम.आई.एस. के माध्यम से एम.पी.आर. का सृजन बावत्।

——00——

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2009–10 में माह फरवरी 2010 के मासिक प्रगति प्रतिवेदन में प्रतिवेदित प्रगति की तुलना में आपके जिले की ऑनलाईन एम.आई.एस. प्रगति **मानव दिवस 31 प्रतिशत** तथा **पूर्ण कार्यों का 0 प्रतिशत** है।

भारत सरकार के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि वित्तीय वर्ष 2010–11 में माह अप्रैल 2010 से जिलों की मासिक प्रगति प्रतिवेदन एम.आई.एस. के माध्यम से ही मान्य किया जायेगा। भारत सरकार द्वारा जिलों का आवंटन एम.आई.एस. में दर्ज प्रगति के आधार पर ही किया जायेगा। अतः एम.आई.एस. में कमजोर प्रगति होने के कारण यदि वित्तीय आवंटन रोका जाता है तो जिले के अधिकारी जिम्मेदार होंगे। परिषद द्वारा जिलों को इस संबंध में पत्र एवं वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से अवगत कराया जा चुका है।

वित्तीय वर्ष 2010–11 में माह अप्रैल 2010 से योजना अंतर्गत संचालित कार्यों पर प्रत्येक सप्ताह उपयोग होने वाले मस्टररोल व व्यय की जानकारी अविलम्ब नियमित अपलोड किया जाना आवश्यक है।

दिनांक 3 अप्रैल 2010 को वीडियो कांफ्रेसिंग में वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु एम.आई.एस. से एम.पी.आर. तैयार करने की विस्तृत कार्य योजना से परिषद के सिस्टम एनालिस्ट एवं प्रभारी अधिकारी (एम.आई.एस.) से जिलों को अवगत कराया गया था तथा अप्रैल 2010 के प्रत्येक सप्ताह के मस्टररोल अविलम्ब अपलोड करने का अनुरोध किया गया था किन्तु दिनांक 19/4/2010 तक वित्तीय वर्ष 2010–11 के मस्टररोल वेबसाईट पर प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि आपका जिला/जनपदों द्वारा अपलोडिंग प्रारंभ नहीं की गई है। इस संबंध में यदि कोई कठिनाई हो तो तत्काल परिषद के सिस्टम एनालिस्ट एवं प्रभारी अधिकारी (एम.आई.एस.) से संपर्क किया जा सकता है।

अनुरोध है कि ग्राम पंचायतों एवं अन्य क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा कार्यों पर उपयोग मस्टररोल व व्यय आदि के एम.आई.एस. की साप्ताहिक समीक्षा करने का कष्ट करें।

(रश्मि अरूण शमी)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद
भोपाल

मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्, भोपाल

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन पंजीकृत संस्था)

द्वितीय तल, नर्मदा भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल - ४६२०११

क्रं./3807 /MIS//एनआर-10/NREGS-MP/2010 भोपाल, दिनांक20/04/2010

प्रति,

1. कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक
   महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक
   महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
   जिला पंचायत– **REWA**

विषयः– वित्तीय वर्ष 2010–11 में एम.आई.एस. के माध्यम से एम.पी.आर. का सृजन बावत्।

——00——

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2009–10 में माह फरवरी 2010 के मासिक प्रगति प्रतिवेदन में प्रतिवेदित प्रगति की तुलना में आपके जिले की ऑनलाईन एम.आई.एस. प्रगति **मानव दिवस 15 प्रतिशत** तथा **पूर्ण कार्यों का 1 प्रतिशत** है।

भारत सरकार के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि वित्तीय वर्ष 2010–11 में माह अप्रैल 2010 से जिलों की मासिक प्रगति प्रतिवेदन एम.आई.एस. के माध्यम से ही मान्य किया जायेगा। भारत सरकार द्वारा जिलों का आवंटन एम.आई.एस. में दर्ज प्रगति के आधार पर ही किया जायेगा। अतः एम.आई.एस. में कमजोर प्रगति होने के कारण यदि वित्तीय आवंटन रोका जाता है तो जिले के अधिकारी जिम्मेदार होंगे। परिषद द्वारा जिलों को इस संबंध में पत्र एवं वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से अवगत कराया जा चुका है।

वित्तीय वर्ष 2010–11 में माह अप्रैल 2010 से योजना अंतर्गत संचालित कार्यों पर प्रत्येक सप्ताह उपयोग होने वाले मस्टररोल व व्यय की जानकारी अविलम्ब नियमित अपलोड किया जाना आवश्यक है।

दिनांक 3 अप्रैल 2010 को वीडियो कांफ्रेसिंग में वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु एम.आई.एस. से एम.पी.आर. तैयार करने की विस्तृत कार्य योजना से परिषद के सिस्टम एनालिस्ट एवं प्रभारी अधिकारी (एम.आई.एस.) से जिलों को अवगत कराया गया था तथा अप्रैल 2010 के प्रत्येक सप्ताह के मस्टररोल अविलम्ब अपलोड करने का अनुरोध किया गया था किन्तु दिनांक 19/4/2010 तक वित्तीय वर्ष 2010–11 के मस्टररोल वेबसाईट पर प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि आपका जिला/जनपदों द्वारा अपलोडिंग प्रारंभ नहीं की गई है। इस संबंध में यदि कोई कठिनाई हो तो तत्काल परिषद के सिस्टम एनालिस्ट एवं प्रभारी अधिकारी (एम.आई.एस.) से संपर्क किया जा सकता है।

अनुरोध है कि ग्राम पंचायतों एवं अन्य क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा कार्यों पर उपयोग मस्टररोल व व्यय आदि के एम.आई.एस. की साप्ताहिक समीक्षा करने का कष्ट करें।

(रश्मि अरूण शमी)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद
भोपाल

मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्, भोपाल

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन पंजीकृत संस्था)

द्वितीय तल, नर्मदा भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल - ४६२०११

क्रं./3808 /MIS//एनआर-10/NREGS-MP/2010 भोपाल, दिनांक 20/04/2010

प्रति,

1. कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक
   महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक
   महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
   जिला पंचायत– **BHIND**

विषयः– वित्तीय वर्ष 2010–11 में एम.आई.एस. के माध्यम से एम.पी.आर. का सृजन बावत्।

——00——

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2009–10 में माह फरवरी 2010 के मासिक प्रगति प्रतिवेदन में प्रतिवेदित प्रगति की तुलना में आपके जिले की ऑनलाईन एम.आई.एस. प्रगति **मानव दिवस 52 प्रतिशत** तथा **पूर्ण कार्यों का 0 प्रतिशत** है।

भारत सरकार के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि वित्तीय वर्ष 2010–11 में माह अप्रैल 2010 से जिलों की मासिक प्रगति प्रतिवेदन एम.आई.एस. के माध्यम से ही मान्य किया जायेगा। भारत सरकार द्वारा जिलों का आवंटन एम.आई.एस. में दर्ज प्रगति के आधार पर ही किया जायेगा। अत: एम.आई.एस. में कमजोर प्रगति होने के कारण यदि वित्तीय आवंटन रोका जाता है तो जिले के अधिकारी जिम्मेदार होंगे। परिषद द्वारा जिलों को इस संबंध में पत्र एवं वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से अवगत कराया जा चुका है।

वित्तीय वर्ष 2010–11 में माह अप्रैल 2010 से योजना अंतर्गत संचालित कार्यों पर प्रत्येक सप्ताह उपयोग होने वाले मस्टररोल व व्यय की जानकारी अविलम्ब नियमित अपलोड किया जाना आवश्यक है।

दिनांक 3 अप्रैल 2010 को वीडियो कांफ्रेसिंग में वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु एम.आई.एस. से एम.पी.आर. तैयार करने की विस्तृत कार्य योजना से परिषद के सिस्टम एनालिस्ट एवं प्रभारी अधिकारी (एम.आई.एस.) से जिलों को अवगत कराया गया था तथा अप्रैल 2010 के प्रत्येक सप्ताह के मस्टररोल अविलम्ब अपलोड करने का अनुरोध किया गया था किन्तु दिनांक 19/4/2010 तक वित्तीय वर्ष 2010–11 के मस्टररोल वेबसाईट पर प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि आपका जिला/जनपदों द्वारा अपलोडिंग प्रारंभ नहीं की गई है। इस संबंध में यदि कोई कठिनाई हो तो तत्काल परिषद के सिस्टम एनालिस्ट एवं प्रभारी अधिकारी (एम.आई.एस.) से संपर्क किया जा सकता है।

अनुरोध है कि ग्राम पंचायतों एवं अन्य क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा कार्यों पर उपयोग मस्टररोल व व्यय आदि के एम.आई.एस. की साप्ताहिक समीक्षा करने का कष्ट करें।

(रश्मि अरूण शमी)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद
भोपाल

मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्, भोपाल

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन पंजीकृत संस्था)

द्वितीय तल, नर्मदा भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल - ४६२०११

क्रं./3809 /MIS//एनआर-10/NREGS-MP/2010 भोपाल, दिनांक 20/04/2010

प्रति,

1. कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक
   महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक
   महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
   जिला पंचायत– **BHOPAL**

विषयः– वित्तीय वर्ष 2010–11 में एम.आई.एस. के माध्यम से एम.पी.आर. का सृजन बावत्।

——00——

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2009–10 में माह फरवरी 2010 के मासिक प्रगति प्रतिवेदन में प्रतिवेदित प्रगति की तुलना में आपके जिले की ऑनलाईन एम.आई.एस. प्रगति **मानव दिवस 54 प्रतिशत** तथा **पूर्ण कार्यों का 3 प्रतिशत** है।

भारत सरकार के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि वित्तीय वर्ष 2010–11 में माह अप्रैल 2010 से जिलों की मासिक प्रगति प्रतिवेदन एम.आई.एस. के माध्यम से ही मान्य किया जायेगा। भारत सरकार द्वारा जिलों का आवंटन एम.आई.एस. में दर्ज प्रगति के आधार पर ही किया जायेगा। अतः एम.आई.एस. में कमजोर प्रगति होने के कारण यदि वित्तीय आवंटन रोका जाता है तो जिले के अधिकारी जिम्मेदार होंगे। परिषद द्वारा जिलों को इस संबंध में पत्र एवं वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से अवगत कराया जा चुका है।

वित्तीय वर्ष 2010–11 में माह अप्रैल 2010 से योजना अंतर्गत संचालित कार्यों पर प्रत्येक सप्ताह उपयोग होने वाले मस्टररोल व व्यय की जानकारी अविलम्ब नियमित अपलोड किया जाना आवश्यक है।

दिनांक 3 अप्रैल 2010 को वीडियो कांफ्रेसिंग में वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु एम.आई.एस. से एम.पी.आर. तैयार करने की विस्तृत कार्य योजना से परिषद के सिस्टम एनालिस्ट एवं प्रभारी अधिकारी (एम.आई.एस.) से जिलों को अवगत कराया गया था तथा अप्रैल 2010 के प्रत्येक सप्ताह के मस्टररोल अविलम्ब अपलोड करने का अनुरोध किया गया था किन्तु दिनांक 19/4/2010 तक वित्तीय वर्ष 2010–11 के मस्टररोल वेबसाईट पर प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि आपका जिला/जनपदों द्वारा अपलोडिंग प्रारंभ नहीं की गई है। इस संबंध में यदि कोई कठिनाई हो तो तत्काल परिषद के सिस्टम एनालिस्ट एवं प्रभारी अधिकारी (एम.आई.एस.) से संपर्क किया जा सकता है।

अनुरोध है कि ग्राम पंचायतों एवं अन्य क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा कार्यों पर उपयोग मस्टररोल व व्यय आदि के एम.आई.एस. की साप्ताहिक समीक्षा करने का कष्ट करें।

(रश्मि अरूण शमी)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद
भोपाल

मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्, भोपाल

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन पंजीकृत संस्था)

द्वितीय तल, नर्मदा भवन; अरेरा हिल्स, भोपाल - ४६२०११

क्रं./3810 /MIS//एनआर-10/NREGS-MP/2010 भोपाल, दिनांक 20/04/2010

प्रति,

1. कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक
   महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक
   महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
   जिला पंचायत– **GWALIOR**

विषयः– वित्तीय वर्ष 2010–11 में एम.आई.एस. के माध्यम से एम.पी.आर. का सृजन बावत्।

——00——

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2009–10 में माह फरवरी 2010 के मासिक प्रगति प्रतिवेदन में प्रतिवेदित प्रगति की तुलना में आपके जिले की ऑनलाईन एम.आई.एस. प्रगति **मानव दिवस 64 प्रतिशत** तथा **पूर्ण कार्यों का 0 प्रतिशत** है।

भारत सरकार के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि वित्तीय वर्ष 2010–11 में माह अप्रैल 2010 से जिलों की मासिक प्रगति प्रतिवेदन एम.आई.एस. के माध्यम से ही मान्य किया जायेगा। भारत सरकार द्वारा जिलों का आवंटन एम.आई.एस. में दर्ज प्रगति के आधार पर ही किया जायेगा। अतः एम.आई.एस. में कमजोर प्रगति होने के कारण यदि वित्तीय आवंटन रोका जाता है तो जिले के अधिकारी जिम्मेदार होंगे। परिषद द्वारा जिलों को इस संबंध में पत्र एवं वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से अवगत कराया जा चुका है।

वित्तीय वर्ष 2010–11 में माह अप्रैल 2010 से योजना अंतर्गत संचालित कार्यों पर प्रत्येक सप्ताह उपयोग होने वाले मस्टररोल व व्यय की जानकारी अविलम्ब नियमित अपलोड किया जाना आवश्यक है।

दिनांक 3 अप्रैल 2010 को वीडियो कांफ्रेसिंग में वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु एम.आई.एस. से एम.पी.आर. तैयार करने की विस्तृत कार्य योजना से परिषद के सिस्टम एनालिस्ट एवं प्रभारी अधिकारी (एम.आई.एस.) से जिलों को अवगत कराया गया था तथा अप्रैल 2010 के प्रत्येक सप्ताह के मस्टररोल अविलम्ब अपलोड करने का अनुरोध किया गया था किन्तु दिनांक 19/4/2010 तक वित्तीय वर्ष 2010–11 के मस्टररोल वेबसाईट पर प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि आपका जिला/जनपदों द्वारा अपलोडिंग प्रारंभ नहीं की गई है। इस संबंध में यदि कोई कठिनाई हो तो तत्काल परिषद के सिस्टम एनालिस्ट एवं प्रभारी अधिकारी (एम.आई.एस.) से संपर्क किया जा सकता है।

अनुरोध है कि ग्राम पंचायतों एवं अन्य क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा कार्यों पर उपयोग मस्टररोल व व्यय आदि के एम.आई.एस. की साप्ताहिक समीक्षा करने का कष्ट करें।

(रश्मि अरूण शमी)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद
भोपाल

मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्, भोपाल

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन पंजीकृत संस्था)

द्वितीय तल, नर्मदा भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल - ४६२०११

क्रं./3811 /MIS//एनआर-10/NREGS-MP/2010 भोपाल, दिनांक 20/04/2010

प्रति,

1. कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक
   महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक
   महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
   जिला पंचायत– **HOSHANGABAD**

विषयः– वित्तीय वर्ष 2010-11 में एम.आई.एस. के माध्यम से एम.पी.आर. का सृजन तावत्।

——00——

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2009–10 में माह फरवरी 2010 के मासिक प्रगति प्रतिवेदन में प्रतिवेदित प्रगति की तुलना में आपके जिले की ऑनलाईन एम.आई.एस. प्रगति **मानव दिवस 60 प्रतिशत** तथा **पूर्ण कार्यों का 63 प्रतिशत** है।

भारत सरकार के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि वित्तीय वर्ष 2010–11 में माह अप्रैल 2010 से जिलों की मासिक प्रगति प्रतिवेदन एम.आई.एस. के माध्यम से ही मान्य किया जायेगा। भारत सरकार द्वारा जिलों का आवंटन एम.आई.एस. में दर्ज प्रगति के आधार पर ही किया जायेगा। अतः एम.आई.एस. में कमजोर प्रगति होने के कारण यदि वित्तीय आवंटन रोका जाता है तो जिले के अधिकारी जिम्मेदार होंगे। परिषद द्वारा जिलों को इस संबंध में पत्र एवं वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से अवगत कराया जा चुका है।

वित्तीय वर्ष 2010–11 में माह अप्रैल 2010 से योजना अंतर्गत संचालित कार्यों पर प्रत्येक सप्ताह उपयोग होने वाले मस्टररोल व व्यय की जानकारी अविलम्ब नियमित अपलोड किया जाना आवश्यक है।

दिनांक 3 अप्रैल 2010 को वीडियो कांफ्रेसिंग में वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु एम.आई.एस. से एम.पी.आर. तैयार करने की विस्तृत कार्य योजना से परिषद के सिस्टम एनालिस्ट एवं प्रभारी अधिकारी (एम.आई.एस.) से जिलों को अवगत कराया गया था तथा अप्रैल 2010 के प्रत्येक सप्ताह के मस्टररोल अविलम्ब अपलोड करने का अनुरोध किया गया था किन्तु दिनांक 19/4/2010 तक वित्तीय वर्ष 2010–11 के मस्टररोल वेबसाईट पर प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि आपका जिला/जनपदों द्वारा अपलोडिंग प्रारंभ नहीं की गई है। इस संबंध में यदि कोई कठिनाई हो तो तत्काल परिषद के सिस्टम एनालिस्ट एवं प्रभारी अधिकारी (एम.आई.एस.) से संपर्क किया जा सकता है।

अनुरोध है कि ग्राम पंचायतों एवं अन्य क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा कार्यों पर उपयोग मस्टररोल व व्यय आदि के एम.आई.एस. की साप्ताहिक समीक्षा करने का कष्ट करें।

(रश्मि अरूण शमी)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद
भोपाल

मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्, भोपाल

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन पंजीकृत संस्था)

द्वितीय तल, नर्मदा भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल - ४६२०११

क्रं./3812/MIS//एनआर-10/NREGS-MP/2010 भोपाल, दिनांक 20/04/2010

प्रति,

1. कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक
   महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक
   महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
   जिला पंचायत– **INDORE**

विषयः– वित्तीय वर्ष 2010–11 में एम.आई.एस. के माध्यम से एम.पी.आर. का सृजन बावत्।

——00——

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2009–10 में माह फरवरी 2010 के मासिक प्रगति प्रतिवेदन में प्रतिवेदित प्रगति की तुलना में आपके जिले की ऑनलाईन एम.आई.एस. प्रगति **मानव दिवस 67 प्रतिशत** तथा **पूर्ण कार्यों का 75 प्रतिशत** है।

भारत सरकार के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि वित्तीय वर्ष 2010–11 में माह अप्रैल 2010 से जिलों की मासिक प्रगति प्रतिवेदन एम.आई.एस. के माध्यम से ही मान्य किया जायेगा। भारत सरकार द्वारा जिलों का आवंटन एम.आई.एस. में दर्ज प्रगति के आधार पर ही किया जायेगा। अतः एम.आई.एस. में कमजोर प्रगति होने के कारण यदि वित्तीय आवंटन रोका जाता है तो जिले के अधिकारी जिम्मेदार होंगे। परिषद द्वारा जिलों को इस संबंध में पत्र एवं वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से अवगत कराया जा चुका है।

वित्तीय वर्ष 2010–11 में माह अप्रैल 2010 से योजना अंतर्गत संचालित कार्यों पर प्रत्येक सप्ताह उपयोग होने वाले मस्टररोल व व्यय की जानकारी अविलम्ब नियमित अपलोड किया जाना आवश्यक है।

दिनांक 3 अप्रैल 2010 को वीडियो कांफ्रेसिंग में वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु एम.आई.एस. से एम.पी.आर. तैयार करने की विस्तृत कार्य योजना से परिषद के सिस्टम एनालिस्ट एवं प्रभारी अधिकारी (एम.आई.एस.) से जिलों को अवगत कराया गया था तथा अप्रैल 2010 के प्रत्येक सप्ताह के मस्टररोल अविलम्ब अपलोड करने का अनुरोध किया गया था किन्तु दिनांक 19/4/2010 तक वित्तीय वर्ष 2010–11 के मस्टररोल वेबसाईट पर प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि आपका जिला/जनपदों द्वारा अपलोडिंग प्रारंभ नहीं की गई है। इस संबंध में यदि कोई कठिनाई हो तो तत्काल परिषद के सिस्टम एनालिस्ट एवं प्रभारी अधिकारी (एम.आई.एस.) से संपर्क किया जा सकता है।

अनुरोध है कि ग्राम पंचायतों एवं अन्य क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा कार्यों पर उपयोग मस्टररोल व व्यय आदि के एम.आई.एस. की साप्ताहिक समीक्षा करने का कष्ट करें।

(रश्मि अरूण शमी)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद
भोपाल

मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्, भोपाल

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन पंजीकृत संस्था)

द्वितीय तल, नर्मदा भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल - ४६२०११

क्रं./3813 /MIS//एनआर-10/NREGS-MP/2010 भोपाल, दिनांक 20/04/2010

प्रति,

1. कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक
   महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक
   महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
   जिला पंचायत– **JABALPUR**

विषयः– वित्तीय वर्ष 2010–11 में एम.आई.एस. के माध्यम से एम.पी.आर. का सृजन बावत्।

——00——

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2009–10 में माह फरवरी 2010 के मासिक प्रगति प्रतिवेदन में प्रतिवेदित प्रगति की तुलना में आपके जिले की ऑनलाईन एम.आई.एस. प्रगति **मानव दिवस 42 प्रतिशत** तथा **पूर्ण कार्यों का 12 प्रतिशत** है।

भारत सरकार के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि वित्तीय वर्ष 2010–11 में माह अप्रैल 2010 से जिलों की मासिक प्रगति प्रतिवेदन एम.आई.एस. के माध्यम से ही मान्य किया जायेगा। भारत सरकार द्वारा जिलों का आवंटन एम.आई.एस. में दर्ज प्रगति के आधार पर ही किया जायेगा। अतः एम.आई.एस. में कमजोर प्रगति होने के कारण यदि वित्तीय आवंटन रोका जाता है तो जिले के अधिकारी जिम्मेदार होंगे। परिषद द्वारा जिलों को इस संबंध में पत्र एवं वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से अवगत कराया जा चुका है।

वित्तीय वर्ष 2010–11 में माह अप्रैल 2010 से योजना अंतर्गत संचालित कार्यों पर प्रत्येक सप्ताह उपयोग होने वाले मस्टररोल व व्यय की जानकारी अविलम्ब नियमित अपलोड किया जाना आवश्यक है।

दिनांक 3 अप्रैल 2010 को वीडियो कांफ्रेसिंग में वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु एम.आई.एस. से एम.पी.आर. तैयार करने की विस्तृत कार्य योजना से परिषद के सिस्टम एनालिस्ट एवं प्रभारी अधिकारी (एम.आई.एस.) से जिलों को अवगत कराया गया था तथा अप्रैल 2010 के प्रत्येक सप्ताह के मस्टररोल अविलम्ब अपलोड करने का अनुरोध किया गया था किन्तु दिनांक 19/4/2010 तक वित्तीय वर्ष 2010–11 के मस्टररोल वेबसाईट पर प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि आपका जिला/जनपदों द्वारा अपलोडिंग प्रारंभ नहीं की गई है। इस संबंध में यदि कोई कठिनाई हो तो तत्काल परिषद के सिस्टम एनालिस्ट एवं प्रभारी अधिकारी (एम.आई.एस.) से संपर्क किया जा सकता है।

अनुरोध है कि ग्राम पंचायतों एवं अन्य क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा कार्यों पर उपयोग मस्टररोल व व्यय आदि के एम.आई.एस. की साप्ताहिक समीक्षा करने का कष्ट करें।

(रश्मि अरूण शमी)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद
भोपाल

मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्, भोपाल

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन पंजीकृत संस्था)

द्वितीय तल, नर्मदा भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल - ४६२०११

क्रं./3814 /MIS//एनआर-10/NREGS-MP/2010 भोपाल, दिनांक 20/04/2010

प्रति,

1. कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक
   महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक
   महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
   जिला पंचायत– **MANDSAUR**

विषयः– वित्तीय वर्ष 2010–11 में एम.आई.एस. के माध्यम से एम.पी.आर. का सृजन बावत्।

——00——

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2009–10 में माह फरवरी 2010 के मासिक प्रगति प्रतिवेदन में प्रतिवेदित प्रगति की तुलना में आपके जिले की ऑनलाईन एम.आई.एस. प्रगति **मानव दिवस 49 प्रतिशत** तथा **पूर्ण कार्यों का 0 प्रतिशत** है।

भारत सरकार के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि वित्तीय वर्ष 2010–11 में माह अप्रैल 2010 से जिलों की मासिक प्रगति प्रतिवेदन एम.आई.एस. के माध्यम से ही मान्य किया जायेगा। भारत सरकार द्वारा जिलों का आवंटन एम.आई.एस. में दर्ज प्रगति के आधार पर ही किया जायेगा। अतः एम.आई.एस. में कमजोर प्रगति होने के कारण यदि वित्तीय आवंटन रोका जाता है तो जिले के अधिकारी जिम्मेदार होंगे। परिषद द्वारा जिलों को इस संबंध में पत्र एवं वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से अवगत कराया जा चुका है।

वित्तीय वर्ष 2010–11 में माह अप्रैल 2010 से योजना अंतर्गत संचालित कार्यों पर प्रत्येक सप्ताह उपयोग होने वाले मस्टररोल व व्यय की जानकारी अविलम्ब नियमित अपलोड किया जाना आवश्यक है।

दिनांक 3 अप्रैल 2010 को वीडियो कांफ्रेसिंग में वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु एम.आई.एस. से एम.पी.आर. तैयार करने की विस्तृत कार्य योजना से परिषद के सिस्टम एनालिस्ट एवं प्रभारी अधिकारी (एम.आई.एस.) से जिलों को अवगत कराया गया था तथा अप्रैल 2010 के प्रत्येक सप्ताह के मस्टररोल अविलम्ब अपलोड करने का अनुरोध किया गया था किन्तु दिनांक 19/4/2010 तक वित्तीय वर्ष 2010–11 के मस्टररोल वेबसाईट पर प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि आपका जिला/जनपदों द्वारा अपलोडिंग प्रारंभ नहीं की गई है। इस संबंध में यदि कोई कठिनाई हो तो तत्काल परिषद के सिस्टम एनालिस्ट एवं प्रभारी अधिकारी (एम.आई.एस.) से संपर्क किया जा सकता है।

अनुरोध है कि ग्राम पंचायतों एवं अन्य क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा कार्यों पर उपयोग मस्टररोल व व्यय आदि के एम.आई.एस. की साप्ताहिक समीक्षा करने का कष्ट करें।

(रश्मि अरूण शमी)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद
भोपाल

मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्, भोपाल

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन पंजीकृत संस्था)

द्वितीय तल, नर्मदा भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल - ४६२०११

क्रं./3815/MIS//एनआर-10/NREGS-MP/2010 भोपाल, दिनांक 20/04/2010

प्रति,

1. कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक
   महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक
   महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
   जिला पंचायत– **MORENA**

विषयः– वित्तीय वर्ष 2010–11 में एम.आई.एस. के माध्यम से एम.पी.आर. का सृजन बावत्।

——00——

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2009–10 में माह फरवरी 2010 के मासिक प्रगति प्रतिवेदन में प्रतिवेदित प्रगति की तुलना में आपके जिले की ऑनलाईन एम.आई.एस. प्रगति **मानव दिवस 64 प्रतिशत** तथा **पूर्ण कार्यों का 28 प्रतिशत** है।

भारत सरकार के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि वित्तीय वर्ष 2010–11 में माह अप्रैल 2010 से जिलों की मासिक प्रगति प्रतिवेदन एम.आई.एस. के माध्यम से ही मान्य किया जायेगा। भारत सरकार द्वारा जिलों का आवंटन एम.आई.एस. में दर्ज प्रगति के आधार पर ही किया जायेगा। अतः एम.आई.एस. में कमजोर प्रगति होने के कारण यदि वित्तीय आवंटन रोका जाता है तो जिले के अधिकारी जिम्मेदार होंगे। परिषद द्वारा जिलों को इस संबंध में पत्र एवं वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से अवगत कराया जा चुका है।

वित्तीय वर्ष 2010–11 में माह अप्रैल 2010 से योजना अंतर्गत संचालित कार्यों पर प्रत्येक सप्ताह उपयोग होने वाले मस्टररोल व व्यय की जानकारी अविलम्ब नियमित अपलोड किया जाना आवश्यक है।

दिनांक 3 अप्रैल 2010 को वीडियो कांफ्रेसिंग में वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु एम.आई.एस. से एम.पी.आर. तैयार करने की विस्तृत कार्य योजना से परिषद के सिस्टम एनालिस्ट एवं प्रभारी अधिकारी (एम.आई.एस.) से जिलों को अवगत कराया गया था तथा अप्रैल 2010 के प्रत्येक सप्ताह के मस्टररोल अविलम्ब अपलोड करने का अनुरोध किया गया था किन्तु दिनांक 19/4/2010 तक वित्तीय वर्ष 2010–11 के मस्टररोल वेबसाईट पर प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि आपका जिला/जनपदों द्वारा अपलोडिंग प्रारंभ नहीं की गई है। इस संबंध में यदि कोई कठिनाई हो तो तत्काल परिषद के सिस्टम एनालिस्ट एवं प्रभारी अधिकारी (एम.आई.एस.) से संपर्क किया जा सकता है।

अनुरोध है कि ग्राम पंचायतों एवं अन्य क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा कार्यों पर उपयोग मस्टररोल व व्यय आदि के एम.आई.एस. की साप्ताहिक समीक्षा करने का कष्ट करें।

(रश्मि अरूण शमी)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद
भोपाल

मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्, भोपाल

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन पंजीकृत संस्था)

द्वितीय तल, नर्मदा भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल - ४६२०११

क्रं./3816 /MIS//एनआर-10/NREGS-MP/2010 भोपाल, दिनांक20/04/2010

प्रति,

1. कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक
   महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक
   महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
   जिला पंचायत– **NARSINGHPUR**

विषयः– वित्तीय वर्ष 2010–11 में एम.आई.एस. के माध्यम से एम.पी.आर. का सृजन बावत्।

——00——

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2009–10 में माह फरवरी 2010 के मासिक प्रगति प्रतिवेदन में प्रतिवेदित प्रगति की तुलना में आपके जिले की ऑनलाईन एम.आई.एस. प्रगति **मानव दिवस 62 प्रतिशत** तथा **पूर्ण कार्यों का 66 प्रतिशत** है।

भारत सरकार के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि वित्तीय वर्ष 2010–11 में माह अप्रैल 2010 से जिलों की मासिक प्रगति प्रतिवेदन एम.आई.एस. के माध्यम से ही मान्य किया जायेगा। भारत सरकार द्वारा जिलों का आवंटन एम.आई.एस. में दर्ज प्रगति के आधार पर ही किया जायेगा। अतः एम.आई.एस. में कमजोर प्रगति होने के कारण यदि वित्तीय आवंटन रोका जाता है तो जिले के अधिकारी जिम्मेदार होंगे। परिषद द्वारा जिलों को इस संबंध में पत्र एवं वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से अवगत कराया जा चुका है।

वित्तीय वर्ष 2010–11 में माह अप्रैल 2010 से योजना अंतर्गत संचालित कार्यों पर प्रत्येक सप्ताह उपयोग होने वाले मस्टररोल व व्यय की जानकारी अविलम्ब नियमित अपलोड किया जाना आवश्यक है।

दिनांक 3 अप्रैल 2010 को वीडियो कांफ्रेसिंग में वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु एम.आई.एस. से एम.पी.आर. तैयार करने की विस्तृत कार्य योजना से परिषद के सिस्टम एनालिस्ट एवं प्रभारी अधिकारी (एम.आई.एस.) से जिलों को अवगत कराया गया था तथा अप्रैल 2010 के प्रत्येक सप्ताह के मस्टररोल अविलम्ब अपलोड करने का अनुरोध किया गया था किन्तु दिनांक 19/4/2010 तक वित्तीय वर्ष 2010–11 के मस्टररोल वेबसाईट पर प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि आपका जिला/जनपदों द्वारा अपलोडिंग प्रारंभ नहीं की गई है। इस संबंध में यदि कोई कठिनाई हो तो तत्काल परिषद के सिस्टम एनालिस्ट एवं प्रभारी अधिकारी (एम.आई.एस.) से संपर्क किया जा सकता है।

अनुरोध है कि ग्राम पंचायतों एवं अन्य क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा कार्यों पर उपयोग मस्टररोल व व्यय आदि के एम.आई.एस. की साप्ताहिक समीक्षा करने का कष्ट करें।

(रश्मि अरूण शमी)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद
भोपाल

मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्, भोपाल

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन पंजीकृत संस्था)

द्वितीय तल, नर्मदा भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल - ४६२०११

क्रं./ 3817 /MIS//एनआर-10/NREGS-MP/2010 भोपाल, दिनांक 20/04/2010

प्रति,

1. कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक
   महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक
   महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
   जिला पंचायत– **HARDA**

विषयः– वित्तीय वर्ष 2010–11 में एम.आई.एस. के माध्यम से एम.पी.आर. का सृजन बावत्।

——00——

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2009–10 में माह फरवरी 2010 के मासिक प्रगति प्रतिवेदन में प्रतिवेदित प्रगति की तुलना में आपके जिले की ऑनलाईन एम.आई.एस. प्रगति **मानव दिवस 35 प्रतिशत** तथा **पूर्ण कार्यों का 17 प्रतिशत** है।

भारत सरकार के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि वित्तीय वर्ष 2010–11 में माह अप्रैल 2010 से जिलों की मासिक प्रगति प्रतिवेदन एम.आई.एस. के माध्यम से ही मान्य किया जायेगा। भारत सरकार द्वारा जिलों का आवंटन एम.आई.एस. में दर्ज प्रगति के आधार पर ही किया जायेगा। अतः एम.आई.एस. में कमजोर प्रगति होने के कारण यदि वित्तीय आवंटन रोका जाता है तो जिले के अधिकारी जिम्मेदार होंगे। परिषद द्वारा जिलों को इस संबंध में पत्र एवं वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से अवगत कराया जा चुका है।

वित्तीय वर्ष 2010–11 में माह अप्रैल 2010 से योजना अंतर्गत संचालित कार्यों पर प्रत्येक सप्ताह उपगोग होने वाले मस्टररोल व व्यय की जानकारी अविलम्ब नियमित अपलोड किया जाना आवश्यक है।

दिनांक 3 अप्रैल 2010 को वीडियो कांफ्रेसिंग में वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु एम.आई.एस. से एम.पी.आर. तैयार करने की विस्तृत कार्य योजना से परिषद के सिस्टम एनालिस्ट एवं प्रभारी अधिकारी (एम.आई.एस.) से जिलों को अवगत कराया गया था तथा अप्रैल 2010 के प्रत्येक सप्ताह के मस्टररोल अविलम्ब अपलोड करने का अनुरोध किया गया था किन्तु दिनांक 19/4/2010 तक वित्तीय वर्ष 2010–11 के मस्टररोल वेबसाईट पर प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि आपका जिला/जनपदों द्वारा अपलोडिंग प्रारंभ नहीं की गई है। इस संबंध में यदि कोई कठिनाई हो तो तत्काल परिषद के सिस्टम एनालिस्ट एवं प्रभारी अधिकारी (एम.आई.एस.) से संपर्क किया जा सकता है।

अनुरोध है कि ग्राम पंचायतों एवं अन्य क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा कार्यों पर उपयोग मस्टररोल व व्यय आदि के एम.आई.एस. की साप्ताहिक समीक्षा करने का कष्ट करें।

(रश्मि अरूण शमी)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद
भोपाल

मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्, भोपाल

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन पंजीकृत संस्था)

द्वितीय तल, नर्मदा भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल - ४६२०११

क्रं./3818 /MIS//एनआर-10/NREGS-MP/2010 भोपाल, दिनांक 20/04/2010

प्रति,

1. कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक
   महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक
   महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
   जिला पंचायत– **GUNA**

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2010–11 में एम.आई.एस. के माध्यम से एम.पी.आर. का सृजन बावत्।**

——00——

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2009–10 में माह फरवरी 2010 के मासिक प्रगति प्रतिवेदन में प्रतिवेदित प्रगति की तुलना में आपके जिले की ऑनलाईन एम.आई.एस. प्रगति **मानव दिवस 49 प्रतिशत** तथा **पूर्ण कार्यों का 144 प्रतिशत** है।

भारत सरकार के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि वित्तीय वर्ष 2010–11 में माह अप्रैल 2010 से जिलों की मासिक प्रगति प्रतिवेदन एम.आई.एस. के माध्यम से ही मान्य किया जायेगा। भारत सरकार द्वारा जिलों का आवंटन एम.आई.एस. में दर्ज प्रगति के आधार पर ही किया जायेगा। अतः एम.आई.एस. में कमजोर प्रगति होने के कारण यदि वित्तीय आवंटन रोका जाता है तो जिले के अधिकारी जिम्मेदार होंगे। परिषद द्वारा जिलों को इस संबंध में पत्र एवं वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से अवगत कराया जा चुका है।

वित्तीय वर्ष 2010–11 में माह अप्रैल 2010 से योजना अंतर्गत संचालित कार्यों पर प्रत्येक सप्ताह उपयोग होने वाले मस्टररोल व व्यय की जानकारी अविलम्ब नियमित अपलोड किया जाना आवश्यक है।

दिनांक 3 अप्रैल 2010 को वीडियो कांफ्रेसिंग में वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु एम.आई.एस. से एम.पी.आर. तैयार करने की विस्तृत कार्य योजना से परिषद के सिस्टम एनालिस्ट एवं प्रभारी अधिकारी (एम.आई.एस.) से जिलों को अवगत कराया गया था तथा अप्रैल 2010 के प्रत्येक सप्ताह के मस्टररोल अविलम्ब अपलोड करने का अनुरोध किया गया था किन्तु दिनांक 19/4/2010 तक वित्तीय वर्ष 2010–11 के मस्टररोल वेबसाईट पर प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि आपका जिला/जनपदों द्वारा अपलोडिंग प्रारंभ नहीं की गई है। इस संबंध में यदि कोई कठिनाई हो तो तत्काल परिषद के सिस्टम एनालिस्ट एवं प्रभारी अधिकारी (एम.आई.एस.) से संपर्क किया जा सकता है।

अनुरोध है कि ग्राम पंचायतों एवं अन्य क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा कार्यों पर उपयोग मस्टररोल व व्यय आदि के एम.आई.एस. की साप्ताहिक समीक्षा करने का कष्ट करें।

(रश्मि अरूण शमी)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद
भोपाल

मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्, भोपाल

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन पंजीकृत संस्था)

द्वितीय तल, नर्मदा भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल - ४६२०११

क्रं./3819 /MIS//एनआर-10/NREGS-MP/2010 भोपाल, दिनांक20/04/2010

प्रति,

1. कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक
   महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक
   महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
   जिला पंचायत– **CHHINDWARA**

विषयः– वित्तीय वर्ष 2010–11 में एन.आई.एस. के माध्यम से एम.पी.आर. का सृजन बावत्।

——00——

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2009–10 में माह फरवरी 2010 के मासिक प्रगति प्रतिवेदन में प्रतिवेदित प्रगति की तुलना में आपके जिले की ऑनलाईन एम.आई.एस. प्रगति **मानव दिवस 53 प्रतिशत** तथा **पूर्ण कार्यों का 8 प्रतिशत** है।

भारत सरकार के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि वित्तीय वर्ष 2010–11 में माह अप्रैल 2010 से जिलों की मासिक प्रगति प्रतिवेदन एम.आई.एस. के माध्यम से ही मान्य किया जायेगा। भारत सरकार द्वारा जिलों का आवंटन एम.आई.एस. में दर्ज प्रगति के आधार पर ही किया जायेगा। अतः एम.आई.एस. में कमजोर प्रगति होने के कारण यदि वित्तीय आवंटन रोका जाता है तो जिले के अधिकारी जिम्मेदार होंगे। परिषद द्वारा जिलों को इस संबंध में पत्र एवं वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से अवगत कराया जा चुका है।

वित्तीय वर्ष 2010–11 में माह अप्रैल 2010 से योजना अंतर्गत संचालित कार्यों पर प्रत्येक सप्ताह उपयोग होने वाले मस्टररोल व व्यय की जानकारी अविलम्ब नियमित अपलोड किया जाना आवश्यक है।

दिनांक 3 अप्रैल 2010 को वीडियो कांफ्रेसिंग में वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु एम.आई.एस. से एम.पी.आर. तैयार करने की विस्तृत कार्य योजना से परिषद के सिस्टम एनालिस्ट एवं प्रभारी अधिकारी (एम.आई.एस.) से जिलों को अवगत कराया गया था तथा अप्रैल 2010 के प्रत्येक सप्ताह के मस्टररोल अविलम्ब अपलोड करने का अनुरोध किया गया था किन्तु दिनांक 19/4/2010 तक वित्तीय वर्ष 2010–11 के मस्टररोल वेबसाईट पर प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि आपका जिला/जनपदों द्वारा अपलोडिंग प्रारंभ नहीं की गई है। इस संबंध में यदि कोई कठिनाई हो तो तत्काल परिषद के सिस्टम एनालिस्ट एवं प्रभारी अधिकारी (एम.आई.एस.) से संपर्क किया जा सकता है।

अनुरोध है कि ग्राम पंचायतों एवं अन्य क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा कार्यों पर उपयोग मस्टररोल व व्यय आदि के एम.आई.एस. की साप्ताहिक समीक्षा करने का कष्ट करें।

(रश्मि अरूण शमी)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद
भोपाल

मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्, भोपाल

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन पंजीकृत संस्था)

द्वितीय तल, जर्मदा भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल - ४६२०११

क्रं./3820 /MIS//एनआर-10/NREGS-MP/2010 भोपाल, दिनांक 20/04/2010

प्रति,

1. कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक
   महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक
   महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
   जिला पंचायत– **DAMOH**

विषयः– वित्तीय वर्ष 2010–11 में एम.आई.एस. के माध्यम से एम.पी.आर. का सृजन बावत्।

——00——

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2009–10 में माह फरवरी 2010 के मासिक प्रगति प्रतिवेदन में प्रतिवेदित प्रगति की तुलना में आपके जिले की ऑनलाईन एम.आई.एस. प्रगति **मानव दिवस 44 प्रतिशत** तथा **पूर्ण कार्यों का 20 प्रतिशत** है।

भारत सरकार के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि वित्तीय वर्ष 2010–11 में माह अप्रैल 2010 से जिलों की मासिक प्रगति प्रतिवेदन एम.आई.एस. के माध्यम से ही मान्य किया जायेगा। भारत सरकार द्वारा जिलों का आवंटन एम.आई.एस. में दर्ज प्रगति के आधार पर ही किया जायेगा। अतः एम.आई.एस. में कमजोर प्रगति होने के कारण यदि वित्तीय आवंटन रोका जाता है तो जिले के अधिकारी जिम्मेदार होंगे। परिषद द्वारा जिलों को इस संबंध में पत्र एवं वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से अवगत कराया जा चुका है।

वित्तीय वर्ष 2010–11 में माह अप्रैल 2010 से योजना अंतर्गत संचालित कार्यों पर प्रत्येक सप्ताह उपयोग होने वाले मस्टररोल व व्यय की जानकारी अविलम्ब नियमित अपलोड किया जाना आवश्यक है।

दिनांक 3 अप्रैल 2010 को वीडियो कांफ्रेसिंग में वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु एम.आई.एस. से एम.पी.आर. तैयार करने की विस्तृत कार्य योजना से परिषद के सिस्टम एनालिस्ट एवं प्रभारी अधिकारी (एम.आई.एस.) से जिलों को अवगत कराया गया था तथा अप्रैल 2010 के प्रत्येक सप्ताह के मस्टररोल अविलम्ब अपलोड करने का अनुरोध किया गया था किन्तु दिनांक 19/4/2010 तक वित्तीय वर्ष 2010–11 के मस्टररोल वेबसाईट पर प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि आपका जिला/जनपदों द्वारा अपलोडिंग प्रारंभ नहीं की गई है। इस संबंध में यदि कोई कठिनाई हो तो तत्काल परिषद के सिस्टम एनालिस्ट एवं प्रभारी अधिकारी (एम.आई.एस.) से संपर्क किया जा सकता है।

अनुरोध है कि ग्राम पंचायतों एवं अन्य क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा कार्यों पर उपयोग मस्टररोल व व्यय आदि के एम.आई.एस. की साप्ताहिक समीक्षा करने का कष्ट करें।

(रश्मि अरूण शमी)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद
भोपाल

मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्, भोपाल

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन पंजीकृत संस्था)

द्वितीय तल, नर्मदा भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल - ४६२०११

क्रं./3821 /MIS//एनआर–10/NREGS-MP/2010 भोपाल, दिनांक 20/04/2010

प्रति,

1. कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक
   महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक
   महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
   जिला पंचायत– **DATIA**

विषयः– वित्तीय वर्ष 2010–11 में एम.आई.एस. के माध्यम से एम.पी.आर. का सृजन बावत्।

——00——

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2009–10 में माह फरवरी 2010 के मासिक प्रगति प्रतिवेदन में प्रतिवेदित प्रगति की तुलना में आपके जिले की ऑनलाईन एम.आई.एस. प्रगति **मानव दिवस 37 प्रतिशत** तथा **पूर्ण कार्यों का 1 प्रतिशत** है।

भारत सरकार के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि वित्तीय वर्ष 2010–11 में माह अप्रैल 2010 से जिलों की मासिक प्रगति प्रतिवेदन एम.आई.एस. के माध्यम से ही मान्य किया जायेगा। भारत सरकार द्वारा जिलों का आवंटन एम.आई.एस. में दर्ज प्रगति के आधार पर ही किया जायेगा। अतः एम.आई.एस. में कमजोर प्रगति होने के कारण यदि वित्तीय आवंटन रोका जाता है तो जिले के अधिकारी जिम्मेदार होंगे। परिषद द्वारा जिलों को इस संबंध में पत्र एवं वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से अवगत कराया जा चुका है।

वित्तीय वर्ष 2010–11 में माह अप्रैल 2010 से योजना अंतर्गत संचालित कार्यों पर प्रत्येक सप्ताह उपयोग होने वाले मस्टररोल व व्यय की जानकारी अविलम्ब नियमित अपलोड किया जाना आवश्यक है।

दिनांक 3 अप्रैल 2010 को वीडियो कांफ्रेसिंग में वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु एम.आई.एस. से एम.पी.आर. तैयार करने की विस्तृत कार्य योजना से परिषद के सिस्टम एनालिस्ट एवं प्रभारी अधिकारी (एम.आई.एस.) से जिलों को अवगत कराया गया था तथा अप्रैल 2010 के प्रत्येक सप्ताह के मस्टररोल अविलम्ब अपलोड करने का अनुरोध किया गया था किन्तु दिनांक 19/4/2010 तक वित्तीय वर्ष 2010–11 के मस्टररोल वेबसाईट पर प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि आपका जिला/जनपदों द्वारा अपलोडिंग प्रारंभ नहीं की गई है। इस संबंध में यदि कोई कठिनाई हो तो तत्काल परिषद के सिस्टम एनालिस्ट एवं प्रभारी अधिकारी (एम.आई.एस.) से संपर्क किया जा सकता है।

अनुरोध है कि ग्राम पंचायतों एवं अन्य क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा कार्यों पर उपयोग मस्टररोल व व्यय आदि के एम.आई.एस. की साप्ताहिक समीक्षा करने का कष्ट करें।

(रश्मि अरूण शमी)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद
भोपाल

मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्, भोपाल

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन पंजीकृत संस्था)

द्वितीय तल, नर्मदा भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल - ४६२०११

क्रं./3822/MIS//एनआर-10/NREGS-MP/2010 भोपाल, दिनांक 20/04/2010

प्रति,

1. कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक
   महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक
   महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
   जिला पंचायत– **DEWAS**

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2010–11 में एम.आई.एस. के माध्यम से एम.पी.आर. का सृजन बावत्।**

——00——

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2009–10 में माह फरवरी 2010 के मासिक प्रगति प्रतिवेदन में प्रतिवेदित प्रगति की तुलना में आपके जिले की ऑनलाईन एम.आई.एस. प्रगति **मानव दिवस 57 प्रतिशत** तथा **पूर्ण कार्यों का 6 प्रतिशत** है।

भारत सरकार के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि वित्तीय वर्ष 2010–11 में माह अप्रैल 2010 से जिलों की मासिक प्रगति प्रतिवेदन एम.आई.एस. के माध्यम से ही मान्य किया जायेगा। भारत सरकार द्वारा जिलों का आवंटन एम.आई.एस. में दर्ज प्रगति के आधार पर ही किया जायेगा। अतः एम.आई.एस. में कमजोर प्रगति होने के कारण यदि वित्तीय आवंटन रोका जाता है तो जिले के अधिकारी जिम्मेदार होंगे। परिषद द्वारा जिलों को इस संबंध में पत्र एवं वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से अवगत कराया जा चुका है।

वित्तीय वर्ष 2010–11 में माह अप्रैल 2010 से योजना अंतर्गत संचालित कार्यों पर प्रत्येक सप्ताह उपयोग होने वाले मस्टररोल व व्यय की जानकारी अविलम्ब नियमित अपलोड किया जाना आवश्यक है।

दिनांक 3 अप्रैल 2010 को वीडियो कांफ्रेसिंग में वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु एम.आई.एस. से एम.पी.आर. तैयार करने की विस्तृत कार्य योजना से परिषद के सिस्टम एनालिस्ट एवं प्रभारी अधिकारी (एम.आई.एस.) से जिलों को अवगत कराया गया था तथा अप्रैल 2010 के प्रत्येक सप्ताह के मस्टररोल अविलम्ब अपलोड करने का अनुरोध किया गया था किन्तु दिनांक 19/4/2010 तक वित्तीय वर्ष 2010–11 के मस्टररोल वेबसाईट पर प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि आपका जिला/जनपदों द्वारा अपलोडिंग प्रारंभ नहीं की गई है। इस संबंध में यदि कोई कठिनाई हो तो तत्काल परिषद के सिस्टम एनालिस्ट एवं प्रभारी अधिकारी (एम.आई.एस.) से संपर्क किया जा सकता है।

अनुरोध है कि ग्राम पंचायतों एवं अन्य क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा कार्यों पर उपयोग मस्टररोल व व्यय आदि के एम.आई.एस. की साप्ताहिक समीक्षा करने का कष्ट करें।

(रश्मि अरूण शमी)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद
भोपाल

मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्, भोपाल

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन पंजीकृत संस्था)

द्वितीय तल, नर्मदा भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल - ४६२०११

क्रं./3823/MIS//एनआर-10/NREGS-MP/2010 भोपाल, दिनांक 20/04/2010

प्रति,

1. कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक
   महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक
   महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
   जिला पंचायत– **NEEMUCH**

विषयः– वित्तीय वर्ष 2010–11 में एम.आई.एस. के माध्यम से एम.पी.आर. का सृजन बावत्।

——00——

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2009–10 में माह फरवरी 2010 के मासिक प्रगति प्रतिवेदन में प्रतिवेदित प्रगति की तुलना में आपके जिले की ऑनलाईन एम.आई.एस. प्रगति **मानव दिवस 95 प्रतिशत** तथा **पूर्ण कार्यों का 0 प्रतिशत** है।

भारत सरकार के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि वित्तीय वर्ष 2010–11 में माह अप्रैल 2010 से जिलों की मासिक प्रगति प्रतिवेदन एम.आई.एस. के माध्यम से ही मान्य किया जायेगा। भारत सरकार द्वारा जिलों का आवंटन एम.आई.एस. में दर्ज प्रगति के आधार पर ही किया जायेगा। अतः एम.आई.एस. में कमजोर प्रगति होने के कारण यदि वित्तीय आवंटन रोका जाता है तो जिले के अधिकारी जिम्मेदार होंगे। परिषद द्वारा जिलों को इस संबंध में पत्र एवं वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से अवगत कराया जा चुका है।

वित्तीय वर्ष 2010–11 में माह अप्रैल 2010 से योजना अंतर्गत संचालित कार्यों पर प्रत्येक सप्ताह उपयोग होने वाले मस्टररोल व व्यय की जानकारी अविलम्ब नियमित अपलोड किया जाना आवश्यक है।

दिनांक 3 अप्रैल 2010 को वीडियो कांफ्रेसिंग में वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु एम.आई.एस. से एम.पी.आर. तैयार करने की विस्तृत कार्य योजना से परिषद के सिस्टम एनालिस्ट एवं प्रभारी अधिकारी (एम.आई.एस.) से जिलों को अवगत कराया गया था तथा अप्रैल 2010 के प्रत्येक सप्ताह के मस्टररोल अविलम्ब अपलोड करने का अनुरोध किया गया था किन्तु दिनांक 19/4/2010 तक वित्तीय वर्ष 2010–11 के मस्टररोल वेबसाईट पर प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि आपका जिला/जनपदों द्वारा अपलोडिंग प्रारंभ नहीं की गई है। इस संबंध में यदि कोई कठिनाई हो तो तत्काल परिषद के सिस्टम एनालिस्ट एवं प्रभारी अधिकारी (एम.आई.एस.) से संपर्क किया जा सकता है।

अनुरोध है कि ग्राम पंचायतों एवं अन्य क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा कार्यों पर उपयोग मस्टररोल व व्यय आदि के एम.आई.एस. की साप्ताहिक समीक्षा करने का कष्ट करें।

(रश्मि अरूण शमी)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद
भोपाल

मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्, भोपाल

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन पंजीकृत संस्था)

द्वितीय तल, नर्मदा भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल - ४६२०११

क्रं./3824/MIS//एनआर-10/NREGS-MP/2010 भोपाल, दिनांक 20/04/2010

प्रति,

1. कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक
   महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक
   महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
   जिला पंचायत– **RAISEN**

विषयः– वित्तीय वर्ष 2010–11 में एम.आई.एस. के माध्यम से एम.पी.आर. का सृजन बावत्।

——00——

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2009–10 में माह फरवरी 2010 के मासिक प्रगति प्रतिवेदन में प्रतिवेदित प्रगति की तुलना में आपके जिले की ऑनलाईन एम.आई.एस. प्रगति **मानव दिवस 40 प्रतिशत** तथा **पूर्ण कार्यों का 1 प्रतिशत** है।

भारत सरकार के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि वित्तीय वर्ष 2010–11 में माह अप्रैल 2010 से जिलों की मासिक प्रगति प्रतिवेदन एम.आई.एस. के माध्यम से ही मान्य किया जायेगा। भारत सरकार द्वारा जिलों का आवंटन एम.आई.एस. में दर्ज प्रगति के आधार पर ही किया जायेगा। अतः एम.आई.एस. में कमजोर प्रगति होने के कारण यदि वित्तीय आवंटन रोका जाता है तो जिले के अधिकारी जिम्मेदार होंगे। परिषद द्वारा जिलों को इस संबंध में पत्र एवं वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से अवगत कराया जा चुका है।

वित्तीय वर्ष 2010–11 में माह अप्रैल 2010 से योजना अंतर्गत संचालित कार्यों पर प्रत्येक सप्ताह उपयोग होने वाले मस्टररोल व व्यय की जानकारी अविलम्ब नियमित अपलोड किया जाना आवश्यक है।

दिनांक 3 अप्रैल 2010 को वीडियो कांफ्रेसिंग में वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु एम.आई.एस. से एम.पी.आर. तैयार करने की विस्तृत कार्य योजना से परिषद के सिस्टम एनालिस्ट एवं प्रभारी अधिकारी (एम.आई.एस.) से जिलों को अवगत कराया गया था तथा अप्रैल 2010 के प्रत्येक सप्ताह के मस्टररोल अविलम्ब अपलोड करने का अनुरोध किया गया था किन्तु दिनांक 19/4/2010 तक वित्तीय वर्ष 2010–11 के मस्टररोल वेबसाईट पर प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि आपका जिला/जनपदों द्वारा अपलोडिंग प्रारंभ नहीं की गई है। इस संबंध में यदि कोई कठिनाई हो तो तत्काल परिषद के सिस्टम एनालिस्ट एवं प्रभारी अधिकारी (एम.आई.एस.) से संपर्क किया जा सकता है।

अनुरोध है कि ग्राम पंचायतों एवं अन्य क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा कार्यों पर उपयोग मस्टररोल व व्यय आदि के एम.आई.एस. की साप्ताहिक समीक्षा करने का कष्ट करें।

(रश्मि अरूण शमी)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद
भोपाल

मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्, भोपाल

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन पंजीकृत संस्था)

द्वितीय तल, नर्मदा भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल - ४६२०११

क्रं./3825/MIS//एनआर-10/NREGS-MP/2010 भोपाल, दिनांक20/04/2010

प्रति,

1. कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक
   महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक
   महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
   जिला पंचायत– **RATLAM**

विषयः– वित्तीय वर्ष 2010–11 में एम.आई.एस. के माध्यम से एम.पी.आर. का सृजन बावत्।

——00——

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2009–10 में माह फरवरी 2010 के मासिक प्रगति प्रतिवेदन में प्रतिवेदित प्रगति की तुलना में आपके जिले की ऑनलाईन एम.आई.एस. प्रगति **मानव दिवस 89 प्रतिशत** तथा **पूर्ण कार्यों का 23 प्रतिशत** है।

भारत सरकार के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि वित्तीय वर्ष 2010–11 में माह अप्रैल 2010 से जिलों की मासिक प्रगति प्रतिवेदन एम.आई.एस. के माध्यम से ही मान्य किया जायेगा। भारत सरकार द्वारा जिलों का आवंटन एम.आई.एस. में दर्ज प्रगति के आधार पर ही किया जायेगा। अतः एम.आई.एस. में कमजोर प्रगति होने के कारण यदि वित्तीय आवंटन रोका जाता है तो जिले के अधिकारी जिम्मेदार होंगे। परिषद द्वारा जिलों को इस संबंध में पत्र एवं वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से अवगत कराया जा चुका है।

वित्तीय वर्ष 2010–11 में माह अप्रैल 2010 से योजना अंतर्गत संचालित कार्यों पर प्रत्येक सप्ताह उपयोग होने वाले मस्टररोल व व्यय की जानकारी अविलम्ब नियमित अपलोड किया जाना आवश्यक है।

दिनांक 3 अप्रैल 2010 को वीडियो कांफ्रेसिंग में वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु एम.आई.एस. से एम.पी.आर. तैयार करने की विस्तृत कार्य योजना से परिषद के सिस्टम एनालिस्ट एवं प्रभारी अधिकारी (एम.आई.एस.) से जिलों को अवगत कराया गया था तथा अप्रैल 2010 के प्रत्येक सप्ताह के मस्टररोल अविलम्ब अपलोड करने का अनुरोध किया गया था किन्तु दिनांक 19/4/2010 तक वित्तीय वर्ष 2010–11 के मस्टररोल वेबसाईट पर प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि आपका जिला/जनपदों द्वारा अपलोडिंग प्रारंभ नहीं की गई है। इस संबंध में यदि कोई कठिनाई हो तो तत्काल परिषद के सिस्टम एनालिस्ट एवं प्रभारी अधिकारी (एम.आई.एस.) से संपर्क किया जा सकता है।

अनुरोध है कि ग्राम पंचायतों एवं अन्य क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा कार्यों पर उपयोग मस्टररोल व व्यय आदि के एम.आई.एस. की साप्ताहिक समीक्षा करने का कष्ट करें।

(रश्मि अरूण शमी)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद
भोपाल

मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्, भोपाल

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन पंजीकृत संस्था)

द्वितीय तल, नर्मदा भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल - ४६२०११

क्रं./3826/MIS//एनआर-10/NREGS-MP/2010 भोपाल, दिनांक 20/04/2010

प्रति,

1. कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक
   महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक
   महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
   जिला पंचायत– **SAGAR**

विषयः– वित्तीय वर्ष 2010–11 में एम.आई.एस. के माध्यम से एम.पी.आर. का सृजन बावत्।

——00——

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2009–10 में माह फरवरी 2010 के मासिक प्रगति प्रतिवेदन में प्रतिवेदित प्रगति की तुलना में आपके जिले की ऑनलाईन एम.आई.एस. प्रगति **मानव दिवस 41 प्रतिशत** तथा **पूर्ण कार्यों का 2 प्रतिशत** है।

भारत सरकार के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि वित्तीय वर्ष 2010–11 में माह अप्रैल 2010 से जिलों की मासिक प्रगति प्रतिवेदन एम.आई.एस. के माध्यम से ही मान्य किया जायेगा। भारत सरकार द्वारा जिलों का आवंटन एम.आई.एस. में दर्ज प्रगति के आधार पर ही किया जायेगा। अतः एम.आई.एस. में कमजोर प्रगति होने के कारण यदि वित्तीय आवंटन रोका जाता है तो जिले के अधिकारी जिम्मेदार होंगे। परिषद द्वारा जिलों को इस संबंध में पत्र एवं वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से अवगत कराया जा चुका है।

वित्तीय वर्ष 2010–11 में माह अप्रैल 2010 से योजना अंतर्गत संचालित कार्यों पर प्रत्येक सप्ताह उपयोग होने वाले मस्टररोल व व्यय की जानकारी अविलम्ब नियमित अपलोड किया जाना आवश्यक है।

दिनांक 3 अप्रैल 2010 को वीडियो कांफ्रेसिंग में वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु एम.आई.एस. से एम.पी.आर. तैयार करने की विस्तृत कार्य योजना से परिषद के सिस्टम एनालिस्ट एवं प्रभारी अधिकारी (एम.आई.एस.) से जिलों को अवगत कराया गया था तथा अप्रैल 2010 के प्रत्येक सप्ताह के मस्टररोल अविलम्ब अपलोड करने का अनुरोध किया गया था किन्तु दिनांक 19/4/2010 तक वित्तीय वर्ष 2010–11 के मस्टररोल वेबसाईट पर प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि आपका जिला/जनपदों द्वारा अपलोडिंग प्रारंभ नहीं की गई है। इस संबंध में यदि कोई कठिनाई हो तो तत्काल परिषद के सिस्टम एनालिस्ट एवं प्रभारी अधिकारी (एम.आई.एस.) से संपर्क किया जा सकता है।

अनुरोध है कि ग्राम पंचायतों एवं अन्य क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा कार्यों पर उपयोग मस्टररोल व व्यय आदि के एम.आई.एस. की साप्ताहिक समीक्षा करने का कष्ट करें।

(रश्मि अरूण शमी)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद
भोपाल

मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्, भोपाल

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन पंजीकृत संस्था)

द्वितीय तल, नर्मदा भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल - ४६२०११

क्रं./3827/MIS//एनआर-10/NREGS-MP/2010 भोपाल, दिनांक 20/04/2010

प्रति,

1. कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक
   महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक
   महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
   जिला पंचायत– **SEHORE**

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2010–11 में एम.आई.एस. के माध्यम से एम.पी.आर. का सृजन बावत्।**

——00——

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2009–10 में माह फरवरी 2010 के मासिक प्रगति प्रतिवेदन में प्रतिवेदित प्रगति की तुलना में आपके जिले की ऑनलाईन एम.आई.एस. प्रगति **मानव दिवस 71 प्रतिशत** तथा **पूर्ण कार्यों का 46 प्रतिशत** है।

भारत सरकार के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि वित्तीय वर्ष 2010–11 में माह अप्रैल 2010 से जिलों की मासिक प्रगति प्रतिवेदन एम.आई.एस. के माध्यम से ही मान्य किया जायेगा। भारत सरकार द्वारा जिलों का आवंटन एम.आई.एस. में दर्ज प्रगति के आधार पर ही किया जायेगा। अतः एम.आई.एस. में कमजोर प्रगति होने के कारण यदि वित्तीय आवंटन रोका जाता है तो जिले के अधिकारी जिम्मेदार होंगे। परिषद द्वारा जिलों को इस संबंध में पत्र एवं वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से अवगत कराया जा चुका है।

वित्तीय वर्ष 2010–11 में माह अप्रैल 2010 से योजना अंतर्गत संचालित कार्यों पर प्रत्येक सप्ताह उपयोग होने वाले मस्टररोल व व्यय की जानकारी अविलम्ब नियमित अपलोड किया जाना आवश्यक है।

दिनांक 3 अप्रैल 2010 को वीडियो कांफ्रेसिंग में वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु एम.आई.एस. से एम.पी.आर. तैयार करने की विस्तृत कार्य योजना से परिषद के सिस्टम एनालिस्ट एवं प्रभारी अधिकारी (एम.आई.एस.) से जिलों को अवगत कराया गया था तथा अप्रैल 2010 के प्रत्येक सप्ताह के मस्टररोल अविलम्ब अपलोड करने का अनुरोध किया गया था किन्तु दिनांक 19/4/2010 तक वित्तीय वर्ष 2010–11 के मस्टररोल वेबसाईट पर प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि आपका जिला/जनपदों द्वारा अपलोडिंग प्रारंभ नहीं की गई है। इस संबंध में यदि कोई कठिनाई हो तो तत्काल परिषद के सिस्टम एनालिस्ट एवं प्रभारी अधिकारी (एम.आई.एस.) से संपर्क किया जा सकता है।

अनुरोध है कि ग्राम पंचायतों एवं अन्य क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा कार्यों पर उपयोग मस्टररोल व व्यय आदि के एम.आई.एस की साप्ताहिक समीक्षा करने का कष्ट करें।

(रश्मि अरूण शमी)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद
भोपाल

मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्, भोपाल

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन पंजीकृत संस्था)

द्वितीय तल, नर्मदा भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल - ४६२०११

क्र./3828 /MIS//एनआर-10/NREGS-MP/2010 भोपाल, दिनांक 20/04/2010

प्रति,

1. कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक
   महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक
   महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
   जिला पंचायत– **SHAJAPUR**

विषयः– वित्तीय वर्ष 2010–11 में एम.आई.एस. के माध्यम से एम.पी.आर. का सृजन बावत्।

——00——

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2009–10 में माह फरवरी 2010 के मासिक प्रगति प्रतिवेदन में प्रतिवेदित प्रगति की तुलना में आपके जिले की ऑनलाईन एम.आई.एस. प्रगति **मानव दिवस 70 प्रतिशत** तथा **पूर्ण कार्यों का 128 प्रतिशत** है।

भारत सरकार के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि वित्तीय वर्ष 2010–11 में माह अप्रैल 2010 से जिलों की मासिक प्रगति प्रतिवेदन एम.आई.एस. के माध्यम से ही मान्य किया जायेगा। भारत सरकार द्वारा जिलों का आवंटन एम.आई.एस. में दर्ज प्रगति के आधार पर ही किया जायेगा। अतः एम.आई.एस. में कमजोर प्रगति होने के कारण यदि वित्तीय आवंटन रोका जाता है तो जिले के अधिकारी जिम्मेदार होंगे। परिषद द्वारा जिलों को इस संबंध में पत्र एवं वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से अवगत कराया जा चुका है।

वित्तीय वर्ष 2010–11 में माह अप्रैल 2010 से योजना अंतर्गत संचालित कार्यों पर प्रत्येक सप्ताह उपयोग होने वाले मस्टररोल व व्यय की जानकारी अविलम्ब नियमित अपलोड किया जाना आवश्यक है।

दिनांक 3 अप्रैल 2010 को वीडियो कांफ्रेसिंग में वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु एम.आई.एस. से एम.पी.आर. तैयार करने की विस्तृत कार्य योजना से परिषद के सिस्टम एनालिस्ट एवं प्रभारी अधिकारी (एम.आई.एस.) से जिलों को अवगत कराया गया था तथा अप्रैल 2010 के प्रत्येक सप्ताह के मस्टररोल अविलम्ब अपलोड करने का अनुरोध किया गया था किन्तु दिनांक 19/4/2010 तक वित्तीय वर्ष 2010–11 के मस्टररोल वेबसाईट पर प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि आपका जिला/जनपदों द्वारा अपलोडिंग प्रारंभ नहीं की गई है। इस संबंध में यदि कोई कठिनाई हो तो तत्काल परिषद के सिस्टम एनालिस्ट एवं प्रभारी अधिकारी (एम.आई.एस.) से संपर्क किया जा सकता है।

अनुरोध है कि ग्राम पंचायतों एवं अन्य क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा कार्यों पर उपयोग मस्टररोल व व्यय आदि के एम.आई.एस. की साप्ताहिक समीक्षा करने का कष्ट करें।

(रश्मि अरूण शमी)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद
भोपाल

मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्, भोपाल

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन पंजीकृत संस्था)

द्वितीय तल, नर्मदा भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल - ४६२०११

क्रं./3829 /MIS//एनआर-10/NREGS-MP/2010 भोपाल, दिनांक 20/04/2010

प्रति,

1. कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक
   महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक
   महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
   जिला पंचायत- **UJJAIN**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2010-11 में एम.आई.एस. के माध्यम से एम.पी.आर. का सृजन दादत्।

——00——

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2009-10 में माह फरवरी 2010 के मासिक प्रगति प्रतिवेदन में प्रतिवेदित प्रगति की तुलना में आपके जिले की ऑनलाईन एम.आई.एस. प्रगति **मानव दिवस 50 प्रतिशत** तथा **पूर्ण कार्यों का 36 प्रतिशत** है।

भारत सरकार के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि वित्तीय वर्ष 2010-11 में माह अप्रैल 2010 से जिलों की मासिक प्रगति प्रतिवेदन एम.आई.एस. के माध्यम से ही मान्य किया जायेगा। भारत सरकार द्वारा जिलों का आवंटन एम.आई.एस. में दर्ज प्रगति के आधार पर ही किया जायेगा। अतः एम.आई.एस. में कमजोर प्रगति होने के कारण यदि वित्तीय आवंटन रोका जाता है तो जिले के अधिकारी जिम्मेदार होंगे। परिषद द्वारा जिलों को इस संबंध में पत्र एवं वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से अवगत कराया जा चुका है।

वित्तीय वर्ष 2010-11 में माह अप्रैल 2010 से योजना अंतर्गत संचालित कार्यों पर प्रत्येक सप्ताह उपयोग होने वाले मस्टररोल व व्यय की जानकारी अविलम्ब नियमित अपलोड किया जाना आवश्यक है।

दिनांक 3 अप्रैल 2010 को वीडियो कांफ्रेसिंग में वित्तीय वर्ष 2010-11 हेतु एम.आई.एस. से एम.पी.आर. तैयार करने की विस्तृत कार्य योजना से परिषद के सिस्टम एनालिस्ट एवं प्रभारी अधिकारी (एम.आई.एस.) से जिलों को अवगत कराया गया था तथा अप्रैल 2010 के प्रत्येक सप्ताह के मस्टररोल अविलम्ब अपलोड करने का अनुरोध किया गया था किन्तु दिनांक 19/4/2010 तक वित्तीय वर्ष 2010-11 के मस्टररोल वेबसाईट पर प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि आपका जिला/जनपदों द्वारा अपलोडिंग प्रारंभ नहीं की गई है। इस संबंध में यदि कोई कठिनाई हो तो तत्काल परिषद के सिस्टम एनालिस्ट एवं प्रभारी अधिकारी (एम.आई.एस.) से संपर्क किया जा सकता है।

अनुरोध है कि ग्राम पंचायतों एवं अन्य क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा कार्यों पर उपयोग मस्टररोल व व्यय आदि के एम.आई.एस. की साप्ताहिक समीक्षा करने का कष्ट करें।

(रश्मि अरूण शमी)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद
भोपाल

मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्, भोपाल

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन पंजीकृत संस्था)

द्वितीय तल, नर्मदा भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल - ४६२०११

क्रं./3830 /MIS//एनआर–10/NREGS-MP/2010 भोपाल, दिनांक20/04/2010

प्रति,

1. कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक
   महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक
   महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
   जिला पंचायत– **VIDISHA**

विषयः– वित्तीय वर्ष 2010–11 में एम.आई.एस. के माध्यम से एम.पी.आर. का सृजन बावत्।

——00——

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2009–10 में माह फरवरी 2010 के मासिक प्रगति प्रतिवेदन में प्रतिवेदित प्रगति की तुलना में आपके जिले की ऑनलाईन एम.आई.एस. प्रगति **मानव दिवस 53 प्रतिशत** तथा **पूर्ण कार्यों का 2 प्रतिशत** है।

भारत सरकार के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि वित्तीय वर्ष 2010–11 में माह अप्रैल 2010 से जिलों की मासिक प्रगति प्रतिवेदन एम.आई.एस. के माध्यम से ही मान्य किया जायेगा। भारत सरकार द्वारा जिलों का आवंटन एम.आई.एस. में दर्ज प्रगति के आधार पर ही किया जायेगा। अतः एम.आई.एस. में कमजोर प्रगति होने के कारण यदि वित्तीय आवंटन रोका जाता है तो जिले के अधिकारी जिम्मेदार होंगे। परिषद द्वारा जिलों को इस संबंध में पत्र एवं वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से अवगत कराया जा चुका है।

वित्तीय वर्ष 2010–11 में माह अप्रैल 2010 से योजना अंतर्गत संचालित कार्यों पर प्रत्येक सप्ताह उपयोग होने वाले मस्टररोल व व्यय की जानकारी अविलम्ब नियमित अपलोड किया जाना आवश्यक है।

दिनांक 3 अप्रैल 2010 को वीडियो कांफ्रेसिंग में वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु एम.आई.एस. से एम.पी.आर. तैयार करने की विस्तृत कार्य योजना से परिषद के सिस्टम एनालिस्ट एवं प्रभारी अधिकारी (एम.आई.एस.) से जिलों को अवगत कराया गया था तथा अप्रैल 2010 के प्रत्येक सप्ताह के मस्टररोल अविलम्ब अपलोड करने का अनुरोध किया गया था किन्तु दिनांक 19/4/2010 तक वित्तीय वर्ष 2010–11 के मस्टररोल वेबसाईट पर प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि आपका जिला/जनपदों द्वारा अपलोडिंग प्रारंभ नहीं की गई है। इस संबंध में यदि कोई कठिनाई हो तो तत्काल परिषद के सिस्टम एनालिस्ट एवं प्रभारी अधिकारी (एम.आई.एस.) से संपर्क किया जा सकता है।

अनुरोध है कि ग्राम पंचायतों एवं अन्य क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा कार्यों पर उपयोग मस्टररोल व व्यय आदि के एम.आई.एस. की साप्ताहिक समीक्षा करने का कष्ट करें।

(रश्मि अरूण शमी)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद
भोपाल